REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SHRI YOGENDRA SHARMA (Bihar) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Eighteenth Report of the Joint Committee on Offices of Profit.

RESOLUTION REGARDING DELETION OF "RIGHT TO PROPERTY" FROM, AND INCLUSION OF "RIGHT TO EMPLOYMENT" IN THE CONST1TU TION TO REGULATE ECONOMIC POLICIES IN ORDER TO REMOVE SOCIAL AND ECONOMIC INEQUALITIES AND CREATION OF MAXI MUM EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE COUNTRY—*contd.*

MR. CHAIRMAN : Mr. Bhardwaj. SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh) : Sir, while discussing the Resolution that was moved by Shri Nathi Singh the other day, I was talking about the right to property, whether th< right to property could be included in th< Constitution. I made a point that at thi: stage in our national life this was no possible because of the reasons that I gav that day. But I think that for giving sati faction to people in rural areas who as as to why, while their lands have been take away and a ceiling has been put thereon, no ceiling on properties, big houses and the like, in the cities has been put, 1 made that point the other day that for giving satisfaction to people in the rural areas it was highly desirable at this stage that the right to property in the cities should be restricted and some reasonable ceiling may be put on property in the urban areas.

The second part of the Resolution says that the right to employment should be inserted in the Constitution.

Actually, I am not very much clear as to what is meant by employment. Does it mean employment by the Government or employment by man? What type of employment is it ? If we include it in the Constitution, what will happen is this. At least one-fourth of our population will rush to the Government saying, "Well, no we have the right to employment; give us employment." The Government may not on it and we will be having large deficits in the budget year after year. From this point of view, I would say that it is not desirable to insert this right to employment in the Constitution. The Constitution already provides the right to work and I think it is quite enough at this stage.

Talking about the employment situation in the country, I have got a book entitled 'Labour Bureau Statistics'. This gives complete information about the employment situation in the country. Therefore I won't give figures which are already u> eluded in this book. But my anxiety is that something must be done to meet the unemployment problem in the country. [Mr. Deputy Chairman in the Chair]

I would make only one or two suggestions in this connection. My first suggestion is that there should be some sort of Unemployment Sink in the country at each district headquarters. These Sinks should have work of various types such as work in forests, work for reclaiming lands, deve-| loping forests and work for taming big rivers and such other types .of jobs which are of continuous nature. If anybody comes and ask for work, the Sink should be able to sink his unemployment and give him some work immediately. Such an arrangement can be made. If any poor man in the rural areas is not having work and he wants to work, this Sink should be able to give him employment on the spot. You can give some other appropriate name to this organisation I call it Sink because it should be in a position to sink unemployment immediately on the spot. This is what I mean by such an organisation. I am not satisfied with the present employment exchanges. I am sorry to say that they are only offices. They are creating dissatisfaction in the minds of the people. People go there. But they are not clear about their intentions. They are not very sympathetic to the employment seekers. They have to sit in the verandahs of their offices. In place of these employment exchanges, there should be some agency which should be able to offer something to the people on the spot. It is possible to do so by proper planning. Otherwise, we cannot solve this problem of unemployment. If you go to the bottom of the problem, really there is

no unemployment. I should say that unemployment is for those people who want positions of privilege. They want employment of their choice. This sort of emplo-ment is different from work. It is this thing in our social system that makes the picture so ugly. It is just like the unequal distribution of wealth.

Like that, there is an unequal distribution of work also. If we properly think of ways and means whereby we can properly distribute work, then.the unemployment problem would not appear in such an ugly form as it appears today. So, some thinking on positive lines can solve this problem. And what I would say in this connection at this stage is that we should remain satisfied with what is laid down in the Constitution. It is laid down in the Constitution that right of work should be assured, and it is already assured. Therefore, I do not think there is any reason to press for this Resolution. And further, Sir, to reduce unemployment we can think of many other ways and means. For example, there is the question of Government employment for one member in a family. Out of the husband and wife, only one should be entitled to Government employment. Now, what happens is, those people who are resourceful and who can meet people manage to get employed. Almost in many families which are educated families both husband and wife are employed in Government service. But there are others where none out of a family is employed either in the Government service or in a public undertaking. So, the Government should consider this and assure jobs for one member in a family, either it may be husband or wife. *(Time bell rings)* Sir, I will take one or two minutes more. What would suggest is that we could think of so many other ways some small schemes so that this sort of dissatisfaction does not remain there. Sir, since you have already pressed the bell, I would like to conclude now. Thank you, Sir.

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I support this Resolution. Sir, it is high time that when we are implementing the 20-Point Programme, when the entire coun try is engaged in serious discussions, we changed our Constitution for the changing society or to meet the demands of the changing society. Sir, I hope, in this situation this Resolution will be unanimously accepted by this House.

Sir, emergency is a passing phase. It is not intended or designed as a long-term policy for socio-economic changes. It has nothing to do with the philosophy of poverty and wealth that exist in the present society for which a long-term thinking, legislative measures, changes in infrastructure, economic policies and all these things are wanted. But in an emergency, it is not possible to have all this infrastructure to remove inequalities from our society. Sir, wealth corrupts our society and vulgarizes our society. Poverty, on the other hand, demoralises our society and the nation. There is capitalism and mounting wealth on one side, and on the other side you find squalor. Even in emergency, you find the labour starving due to the absence of employment opportunities and due to sickness of gardens, sickness of factories and closures and lay-offs and retrenchment.

This is the situation under the emergency. This is one side of the picture. If we look at the other side, we shall see that progressive legislation and progressive measures are being blocked by courts, are blocked by writ petitions, by stay orders, by injunctions and all these things block the progress in our society.

Sir, the purpose of this Resolution is to amend the Constitution by deleting from the provisions of the Constitution the fundamental right to property, not the simple right to property. The Resolution says that the fundamental right to property should be deleted from the Constitution because the chapter on Fundamental Rights is a very important chapter in the Constitution and by that chapter property is protected if by any legislation by this Parliament it be not I protected, I believe as per existing situation I the courts, or the executive authority or the Parliament will not be complying with the] basic structure of the Constitution. If this | be the interpretation of the Supreme Court and if this be the interpretation of the High

[Shri Sanat Kumar Raha] Courts, what can we do in the face of these writ petitions, in the face of lakhs of injunc tions and lakhs of stay orders ? Not ing can be done and all the development programmes will be obstructed by provision of Fundamental Right to property.

Sir, the purpose of this Resolution according to the Mover-is to remove social and economic inequalities and create maximum opportunities by regulation of economic policies. As it is, our country has got many good pieces of legislation and many good measures are there is our statute books relating to tields and factories but they are not being implemented. Why ? Only regulations of economic policies cannot do justice to the society and especially 10 the weaker sections. Sir, there are so many good pieces of legislation like land ceiling laws and laws relating to distribution of surplus land to the landless, shareerop-ping laws for share-croppers, minimum wages laws for agricultural labourers and bidi worker?„ td freedom from bonded labour laws. So many rules and regulations are there for the poor people in our country. We have already passed so many laws both in the States as well as here. But still we find that in spite of all these things, in spite of all these regulations people are not getting the benefit as a result of these measures. Why? That is the question. It is because adequate machinery is not there to implement all these laws and measures. The existing administrative machinery is not oriented to the ideology of removing inequalities. There is absence of political will to implement the progressive measures because vested interests are eptrenched in almost all political parties, including the ruling party. For example, I can say, Sir, that six crores of agricultural labourers cannot get the minimum wage fixed by the States. The Central Govern-ment cannot implement and cannot make the States implement the rates of minimum wages.

Sir, according to the Indian general economic situation, the Centre even cannot give any guidelines or even prescribe any uniform minimum wages for agricultural labourers. I say 'minimum.' Why ? There is minimum price and maximum price for grains. There is minimum profit and maximum profit for the industry. Why cannot any guidelines be issued by the Central Government in respect of agricul-tural labourers for the enforcement of minimum wages payable uniformly to them in all the States ?

When minimum prices of foodgrains have been fixed, minimum wages have not been fixed which should be uniformly applicable throughout India by a directive from the Centre. Prices of other manufactured articles are going higher and higher but the prices of foodgrains are coming down. The agriculturists do not get even the legitimate benefit of the present economic rules. They can enjoy the benefit only if the Government formulates a policy to buy all essential goods and commodities and piace them for higher distribution at the disposal of the poorer and weaker sections of the agricultural community.

Monopoly control over the market is also one of the reasons for inequalities. The monopolists are in a position to manipulate the market economy. The Government can regulate all these things by setting up some kind of infrastructure in the social and economic framework. Whatever types of developmental works and developmental programmes are started, their benefit does not reach the weaker sections of the popu-lation in the rural areas. It is only the richer sections which are the beneficiaries of these developmental programmes. Tt is because the monopolists hold key positions in our economy. This should be curtailed step by step with the ultimate aim of rooting out monopolists from our economy.

ir, the capitalist system should be transformed into a system of growth with justice. Growth is always there but it is for the capitalist section, for the richer section. All developmental programmes seem to be for the richer sections. Whatever developmental programme you start, whatever amount you spend the country as a whole does not get the benefit. It is only a particular class—five or ten per cent of the population—which gets the benefit out of these programmes. The Central Government should introduce some mechanism in the infrastructure by which the

monopolists could be controlled in their attempt-to manipulate the market economy. Public sector must come in to control the entire economic system in our country.

Right to property should be taken out of the Fundamental Rights. This point is engaging attention at the highest national level. Here we also have Swaran Singh Committee to consider the matter and I hope that fruitful results would come out.

Then, Sir, economic policy and its regulation to a certain degree can help the weaker sections and give them social justice. But we cannot remove inequality in the social and economic spheres without transforming the capitalist system into social non-capitalist system. We have no other alternative but to have a democratic system which will ultimately lead to some extent progressively to a socialist system. The Mover of the Resolution is honest and pious at heart and soul for his having brought forward this Resolution. What I feel, Sir, is that just the regulation of economic policies is not the solution to the problem of inequality in our society. We find inequality in our social life, in our economic life and it is a way of life. Inequality is a way of life of the Indian capitalist society though we call it Indian democracy. Now that the entire nation is in favour of changing or removing the right to property from the Fundamental Rights, I think we must give sufficient value to the Directive Principles of Part-IV of the Constitution. Article 39 has been underplayed by this Government. No court can make the Directive Principle enforceable in our society because on the one hand, consideration is given to many local ideas and on the other hand, right to property is included under the Fundamental Rights. We are, thus, deprived of all those lofty aims of the Constitution. It is high time that our people and this Parliament unanimously put pressure on the vested interests, put pressure on the monopolists and we should unanimously agree to remove the right to property from the Fundamental Rights.

This is one of the main hurdles and one of the main obstacles in our Constitution. This should be removed. If this is not done all our progressive measures for relief to the weaker sections of the community, all our measures for speedy conomic development of the country would be set at naught. If this is not done, interested people would invoke articles 14, 19,31 and other articles in the Fundamental Rights Chapter, and say that this right of property is the basic structure. The Supreme Court has also held earlier that this is the basic structure and that Parliament had no right to change it. Therefore we should see that the Constitution is amended accordingly so that the right to property is taken out of the Fundamental rights Chapter. This alsone would enable the speedy implementation of our progressive measures by removing the main obstacles in the way.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : ग्रादरणीय उपसभापति महोदय, मेरे मित्र श्री नत्थी सिंह जी ने जो राइट टु प्रा-पर्टी के अधिकार को संविधान से समाप्त करने का गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे संविधान में यह लिखा है कि—

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to .all its citizens:

Justice, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;

Equality of status and of opportunity; and to promote among them all

Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;"

इस संबंध में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हमने पिछले 28 वर्षों में संवि-धान के मूल लक्ष्यों को प्राप्त किया है ? हमारी सरकार का और हमारे नेता का तथा हमारा यह प्रयास रहा है कि हम इस मुल्क में समाजवादी समाज का निर्माण करें। इसके बावजूद भी हिन्दुस्तान में 18 सौ करोड़ रुपयों की पूंजी का निर्माण हुआ जिसमें 900 करोड़ की पूंजी केवल 75

[श्री कल्पनाथ राय]

पूंजीपतियों के घरों में चली गयी और हिन्दुस्तान की करीब 56 करोड़ जनता को साढ़े चार करोड़ रुपयों के अन्दर ही अपने जीवन को बिताना पड़ा। ऐसी स्थिति में राइट टु प्रापर्टी को समाप्त करके संविधान में राइट टु इम्प्लायमेंट होना चाहिए तभी हम इस देश में समाजवादी समाज का निर्माण कर सकेंगे। आगे आने वाले समय में संविधान संशोधन में हमारे देश की महान प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हम हिन्दुस्तान को एक डैमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह एक सोशलिस्टिक रिपब्लिक घोषित करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि राइट टु प्रापर्टी एक पुरानी कल्पना है, एक अतीत की कल्पना है दुनिया के अन्दर सामन्तवाद के बाद जब पूंजीवाद का उदय हुआ तो उसने राइट टु प्रापर्टी के विचार को सामने रखा। पूंजीवाद ने दुनिया के अन्दर क्या नहीं किया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पूंजीवाद और पूंजीपतियों के कारण ही दुनिया के अन्दर दो महा-युद्ध हुए और इसी पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने संसार के उत्तरी अक्षांश में राष्ट्रों को आपस में लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के कारण यूरोप और अमेरिका के देशों में प्रति व्यक्ति पर-कैपिटा इनकम 28 हजार रुपए है और दूसरी तरफ दुनिया की दो तिहाई आबादी जीवन के न्यूनतम स्तर से भी नीचे के स्तर पर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। मैं समझता हूं कि राइट टु प्रापर्टी की व्यवस्था के पेट से ही राइट टु इम्प्लायमेंट का विचार उत्पन्न हुआ। पूंजीवाद का दूसरा रूप है फासिस्टवाद और फासिस्टवाद का विकसित रूप है साम्राज्यवाद, जिसके कारण दुनिया में प्रथम और द्वितीय महायुद्ध हुए और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया में कायम रही तो इस पूंजीवाद के कारण ही हथियारों की होड़ भी दुनिया में कायम रहेगी और अब तो दुनिया ऐसी जगह पर पहुंच गई है कि या तो दुनिया वालों को दुनिया से हथियार मिटाने होंगे वरना दुनिया वालों को ये हथियार मिटा देंगे। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सवाल है जो पूरी मानवता के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक प्रश्न-चिन्ह बन कर खड़ा हो गया है। आज जो विभिन्न बड़े-बड़े राष्ट्रों में जो "डिटां" या जो मिलन हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि अमरीकी साम्राज्यवादी एक से एक खतरनाक हथियार दुनिया के पैमाने पर बनाते जा रहे हैं? एक तरफ संधि करते हैं दूसरी तरफ हथियारों का निर्माण करते हैं। दुनिया में चाहे अंगोला हो या जांबिया हो या दक्षिण अफ्रीका हो या वियतनाम हो, हर जगह दुनिया के अन्दर साम्राज्यवादी अपने खूनी पंजे को लगा रहे हैं। मिडल ईस्ट में किसिंजर ने बयान किया कि ये मिडल ईस्ट राष्ट्र तेल की सप्लाई नहीं करेगा तो हमें सोचना पड़ेगा दुनिया में उनका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा।

तो राइट आफ प्रापर्टी के कारण ही इतना दुनिया में तनाव है। हमारे देश में जितने भी पुराने युद्ध हुए उसका कारण पूंजीवाद ही रहा है। जब महाभारत हुआ दुर्योधन ने कहा था कि "मैं सूई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के"। इसी कारण महाभारत की जंग हुई थी जिसके कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक भयंकर विनाश-लीला हुई थी। पूंजीवाद के कारण ही कार्ल मार्क्स ने राइट आफ प्रापर्टी, पूंजी की संस्था को खत्म करने की बात कही थी

कि जब तक दुनिया में पूंजीवादी संस्था खत्म नहीं होगी तब तक दुनिया में सर्वहारा की हुकूमत कायम नहीं हो सकती। हमारे ऋषि-मुनियों ने सम्पत्ति के प्रति मोह को खत्म किया। संपत्ति के प्रति मोह खत्म हो ऐसी कल्पना हमारे देश के मुनियों ने की थी और दुनिया में वैज्ञानिक समाजवाद की कल्पना मार्क्स ने दी। जब पूंजीवाद के कारण समग्र दुनिया में ताही-ताही मची हुई हो तब पूंजी की, संपत्ति की संस्था का भी नाश हो और पूंजी के प्रति मोह का भी नाश हो, इन दोनों भावनाओं का जब मिलन होगा तभी हम एक नयी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।

श्री नत्थी सिंह जी ने प्रस्ताव किया है——हमारे संविधान से संपत्ति के अधिकार को निकालने की बात——तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश में संविधान के लागू होने पर धीरे-धीरे छोटी आमदनी और बड़ी आमदनी का फर्क घटा है क्या? क्या 28 वर्ष में हमारी आमदनी के क्षेत्र में कांसेन्ट्रेशन आफ इकानामिक पावर घटा है या बढ़ा है? अगर इस कसौटी में हमें संविधान को तोलना है तो आप जानेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार ने 1954 में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को अपना उद्देश्य बताया था; पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि हमारा लक्ष्य है समाजवादी समाज के ढांचे का निर्माण करना। 1962 में हमने कहा कि हम सहकारिता की आधार-शिला पर समाजवाद का निर्माण करेंगे। हमारे देश की प्रधान मंत्री ने समाजवाद का लक्ष्य घोषित किया है। लेकिन क्या इस घोषणा के बावजूद, हमारे देश के जो मानोपोली हाऊसेज हैं उनके मन में भारत के संविधान का कोई असर हुआ है? आज संपूर्ण हिन्दुस्तान की आधी संपत्ति हिन्दुस्तान के 75 पूंजीपतियों के घर में समायी हुई है। जहां उनकी इकानामिक पावर को कम करने की बात होती वहां छोटी आमदनी और बड़ी आमदनी के बीच फर्क बढ़ा है।

जब हमारे देश में जमींदारी का खात्मा हुआ तो इस मुल्क में जमींदारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया कि हमको जमींदारी को रखने की पावर है संविधान के अंदर। बंगाल के ला के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां, संविधान में यह गलत है, जमींदारी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। जब महाराजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त हुआ तो संविधान की व्याख्या करते हुए हिंदुस्तान की महा न्यायपालिका ने कहा कि यह संविधान में लिखा हुआ है कि राजाओं का प्रिवी पर्स होना चाहिए। जब हिन्दुस्तान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय भी हिन्दुस्तान के संविधान के नाम पर बहाने खोज खोज कर बड़े बड़े लोगों ने अपील की, तब भी कहा गया कि नहीं, हिन्दुस्तान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अल्ट्रा वायरेस है, बिल्कुल गलत है, यह नहीं होना चाहिए। तो पूंजीवाद के पेट से ही राइट रिऐक्शन, दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावाद या फासिस्टवाद पैदा होता है। आज हमारे देश के पूंजीपतियों का दुनिया के मल्टी नेशनल कारपोरेशंस से क्यों समझौता हो रहा है? क्या कारण है कि अमेरिका के केनेडी साहब ने हिंदुस्तान में स्टील प्लांट लगाने की बात कही लेकिन जवाहरलाल जी को वचन देने के बावजूद भी यह कह दिया कि हम पब्लिक सेक्टर में स्टील प्लांट नहीं लगाएंगे; हां, टाटा के कारपोरेशन से यदि आप कोई स्टील प्लांट लगाना चाहें तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो जिस तरह से दुनिया के पैमाने पर पूंजीवाद का यह परिणाम है——उपनिवेशवाद हुआ या फासिस्ट वाद

Construction of Kerala Newsprint Project

895. SHRI S. KUMARAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state;

(a) the progress so far made with regard to the construction of the Kerala Newsprint Project;

(b) what is the amount spent 50 far on the Project;

(c) whether the Project is expected to be completed within the scheduled time; and

(d) what are the names of the *°reign countries which are assisting in setting up the Project and what is the nature of such assistance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI B. P. MAURYA); (a) The Hindustan Paper Corporation has taken possession of the land and site levelling is almost complete. Arrangements for supply of raw materials and other infra-structural facilities have been made. Foreign consultants have been appointed and their experts are already posted in India for carrying out the basic designing and supervising the detailed engineering of the project. Indian Consultants have been appointed for carrying out the detailed engineering of the project. Construction of go-down and temporary office building are complete. Railway siding work is in progress. The construction of main and auxiliary buildings will commence in September immediately after the monsoon. A Project office has already started functioning and the General Manager and other staff are stationed at the site. Orders for, long delivery items like paper machine, power boilers, recovery boiler etc. have been placed.

(b) Rs. 613 lakhs.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government of West Germany through their aid giving agency KFW have been approached for a loan to finance purchase of the machinery and equipment required for the project from West Germany. The loan to be made available from that source is under finalisation. After the purchases of other Imported items required for the project are finalised, 'some other countries from where the items would be imported may be approached to cover the purchases through bilateral credits.

Pandiyar Punnapuzha Hydro-electric Project

896. SHRI S. KUMARAN: Will the Minister of ENERGY be pleased: to state:

(a) whether the Central Electricity Authority has examined the project report in respect of the Pandiyar Punnapuzha Hydro Electric Project submitted by the Kerala Government; and

(b) if so, what are the details thereof and what is Government's decision thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b) The project report in respect of the Kerala Pandiyar-Punnapuzha Hydro-Electric Scheme sent by the Government of Kerala was examined in the Central Electricity Authority/ Central Water Commission and comments on various aspects of the scheme communicated to the project authorities in June, 1975. Subsequently, the estimates of cost and energy potential of the scheme were revised by the project authorities in December, 1975 in the light of the comments of the Central Electricity Authority/ Central Water Commission. The replies of the project authorities to the comments have been examined and their replies to certain points raised with them in March and June, 1976 on planning aspects, design' features and estimates of cost are awaited.

Pension to freedom fighters

897. SHRI S. KUMARAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of freedom fighters who have applied for pension so far, State-wise;

(b) the number amongst them, who have so far been granted pension, State-wise; and

(c) the number of applications which have been rejected/filed and are pending, State-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (c) A statement containing the information as on 31-7-1976 is attached. *[See* Appendix XCVII. Annexure No. 71].

Problem of sick industries

898. SHRI S. KUMARAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government had recently called a meeting of the representatives of the financial institutions, chambers of commerce and industry and trade unions to discuss the problems of sickness in various industries; and

(b) if so, what are the details of the deliberations of the meeting and what Is the outcome thereof?

THE MINISTER, OF STATE IN THE MINISTRY' OF INDUSTRY (SHRI B. P. MAURYA): (a) and (b) Ministers in the Ministry of Industry have had a series of meetings, the last one on 3rd August 1976, with representatives of industry, workers, financial institutions etc., to discuss the problem of sick undertakings. The emphasis at the discussions has been on remedial steps being initiated at an early stage, when the first signs of sickness are noticed in any undertaking, instead of letting the situation degenerate to a point where there is-no other option for the Government except to take over full financial and managerial responsibility for the undertaking. In pursuance of the discussions, a monitoring system has been instituted in the banks to keep a watch on the performance of the industrial undertakings, financed by them. The-Government is also considering^cerfain legislative measures, *itnter* olio, to provide support for the remedial steps that may be taken at the stage of incipient sickness.

Poor response for modernisation of industrial units

899. SHRI JAGJIT SINGH ANAND:
SHRI BIR CHANDRA DEB-BURMAN:

Will tha Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a very few industrial units have so far responded to Government's offer of assistance for modernisation of industrial units;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what measures Government pro-.pose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI B. P. MAURYA): (a) Press release by the Industrial Development Bank of India, inviting applications for assistance for modernisation in selected industries was issued on 21st July 1976. As it takes some time to compile the information required to be furnished by applicants, it is yet too soon to assess the response to this scheme.

(b) and (c) Do not arise.

900. [Transferred to the *Ust August,.* 1976]

जामा पहनाने के लिए, देश के करोड़ों लोगों को रोटी-रोजी देने के लिए, देश के जीवन में सबको भागीदार बनाने के लिए, देश में लोक-भाषा, लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हमारे संविधान से राइट टू प्रापर्टी समाप्त किया जाय और देश के अन्दर राइट टू एम्प्लायमेंट की गारन्टी हर नौजवान को किया जाय। तभी अतीत को सामने रख कर भविष्य के उस सुनहरे दिन का हम निर्माण कर सकेंगे जो हमारे राष्ट्र के नेताओं का स्वप्न था। तभी हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे जो दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

SHRI NARAS1NGHA PRASAD NANDA (Orissa) ; Mr. Deputy Chairman, I share the sentiments expressed by the Mover of the Resolution, by Mr. Sanat Kumar Raha from the Opposition Benches and by Mr. Kalp Nath Rai who just now spoke. I do not possess the same vigour in my language but 1 will be doing immense injustice to my intellectual integrity if 1 do not make certain observations in regard to this Resolution.

Sir, it is no doubt true that the Mover of this Resolution intends to highlight the staggering economic inequality that prevails in our country, the disparities and the complex, baffling and Knotty problems that exist in our country on account of the capitalist system of economy.

Sir, I would submit that from this Resolution there emerge two broad propositions: the right to property enshrined in part III of the Constitution, that is to say the chapter on fundamental rights, should be deleted and the right to employment should be introduced.

Before I proceed further, I would submit that so far as the right to property is concerned, only eight socialist countries in the world have not included the right to property in their constitution, and those countries are China, Czechoslovakia, the Democratic People's Republic of Korea, the German Democratic Republic, Hungary, Poland, the U.S.S.R, and the People's Democratic Republic of Yemen. And so far as the right to work is concerned, only 12 countries have provided in their constitution this right to work, and those countries are Bulgaria, China, Cuba, Czechoslovakia, the Democratic People's Republic of Korea, the German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, the U.S.S.R., the People's Democratic Republic of Yemen and Yugoslavia. You will find, Sir, that even among the socialist republics, at least there are four countries where this right to property has not yet been abolished for historical and various other reasons, and those four countries are Bulgaria, Cuba, Romania, and Yugoslavia.

So far as this right to property is concerned, there is no doubt that it is playing havoc with the economy of our country. And you will see that article 19 (l)(f) provides for every citizen the right to acquire, hold and dispose of property. The Constitution as it originally stood provided in article 31 for payment of reasonable compensation and its justiciability in a court of law. There has been a host of decision on article 31 which have restricted the progress of land legislation in our country. If you kindly refer to the various Constitution Amendment Acts, you will notice that the State has attempted from time to time to impose reasonable restrictions on this right to property. Originally article 31 provided for adequate compensation and its justiciability in a court of law. And in course of time, by the 25th amendment of our Constitution in the year 1971, this question of justiciability was completely deleted. And secondly, Sir.the question of adequacy of compensation is also no longer there. So 1 the point is whether this right to property should be there as it existed in the 19th century in a laissez-faire society or reasonable restrictions should be imposed. A number of legislative measures imposing reasonable restrictions on the right to property or abridging the right to propeity have now been included in the Ninth Schedule by virtue of the various Constitution Amendment Acts. And, Sir, only yesterday, a Bill passed by the Lok Sabha has been placed

on the Table of the House which will be considered tomorrow and several other legislative measures—64 in number— will be discussed in this House tomorrow. I would submit that the concept of property is a very complex concept in law. Property includes not only immovable and movable property, but it also includes actionable claims and easement rights.

Sir, when we talk of property and the right to property, it does not always mean absolute right. It also includes the rights which we are now creating in favour of a new class of beneficiaries, the underdogs of the society, the small farmers and the marginal farmers, who do not own more than two or three acres of land. We are extinguishing the rights of the class of vested interests and are creating rights in favour of a new class of beneficiaries who belong to the weaker sections of the society. I feel, Sir, that in any organised society, property must be there, because the very concept of property cannot be obliterated from human society. No organised society can go without property. But what we can do, as a Government, as a State and as a determined people within a particular 'geographical limit, is that we can impose reasonable restrictions and we can abridge the property rights and thereby we can restrict the evils arising out of the right to property. 1 feel, Sir, that whatever we may say and however emotional we may become, we are taking distinct steps in that direction. Only the other day, Shri Swaran Singh, who heads the Committee set up by the A.I.C.C. to go into the question of Constitutional amendments, suggested that in the Preamble to our Constitution, two words should be added, namely, ^"socialism" and "secularism", and he has also suggested that the word "integrity" should be added after the word "unity." Therefore, if we have decided for ourselves that the goal of our country is socialism and that it is not the socialism, pure and simple, and it is not the socialism of the dogmatic and doctrinaire variety as we understood it, but it is democratic socialism and I would submit, Sir, that if both democracy and socialism have to go together in this country and if they are io be experimented with in this country together, then, Sir, we have to involve the masses of the people in this task and by merely changing the Constitution, by making some provisions here and there, we cannot achieve the desired results. I would, therefore, submit that keeping in view the genius of this country and 'keeping in view the mind of the masses of the people, our leaders have risen to the occasion and have effected Constitutional amendments from time to time and have imposed reasonable restrictions on the right to property. The right to property is no longer an absolute right and no individual, no citizen, can now claim absolute right over property. The right to property is subject to the larger interests of the entire community of the country. Now, Sir, you will kindly see that article 31A and its sub-sections (a), (b) and (c) go a long way in imposing the desired restrictions on the exercise of the right to property. I am of course conscious that the courts of law had interpreted article 31C in a different way. In fact, the latter portion of article 31C has been declared *ultra vires* by the Supreme Court in a case reported in 1973—the famous case of Kesavananda Bharati. 1 would submit, Sir, that what is now being attempted is to take out the jurisdiction of the court so far as legislations in relation to properties are concerned. That is an important step that is being taken by our leadership. I would submit, Sir, that even the Supreme Court has not stated that the right to property is one of the basic structures of our society; kindly refer to Kesavananda Bharati's case. They have stated about Judicial review. They have stated about certain other rights. But they never say that the right to property as contemplated in article 19 of the Constitution is one of the basic features of our Constitution. By 'basic features' they mean some other^things. I do not want to illustrate them, because the time at my disposal is very short... *[Time bell rings).*

Now, so far as the right to employment is concerned, 1 would respectfully submit that even in a country like Yugoslavia, which is a socialist country and where socialism is being practised for a long time, this problem of unemployment exists. If you kindly refer to the Bulletin issued by

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

the United Nations in 1976 March, you will find that there are more than five million people who are unemployed even in a country like Yugoslavia. I would submit, Sir, that this is not to minimise the importance of the right to work. My idea is that article 16, article 39 (a) and article 41 of the Constitution make adequate provisions for the right to work. Mr. Nathi Singh will probably agree that in no Constitution of the world the term 'right to employment' is used. This is a misnomer in law. The term used in our Constitution is the right to work, and it is a wider term. I would submit. Sir, that the socialist Constitutions of the countries, the names of whicl I mentioned at the outset, do not say 'rigl to employment', because this is a somewhat cryptic concept in law.

With these observations, Sir, I submit that in view of the fact that our leadership is already trying to effect a change in the constitution, to set our goal and to define very clearly our objectives, and those constitutional changes are coming up not in this session but in the next session of Parliament, my friend should have hailed our leadership, because they are taking steps in that direction, and consider whether he should press this Resolution or not because by this decision, after all, his purpose has already been nerved.

श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं श्री नत्थी सिंह के प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें उन्होंने जो मूल बात कही है वह राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने की बात है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हम मानव समाज के इतिहास को देखें तो वह एक लम्बा इतिहास है। प्रारम्भिक काल में मानव समाज जिस रूप में गठित था उस को आदिम समाजवाद कहते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं। उस समय मनुष्य का बहुत विकास नहीं हुआ था। डारविन की थ्योरी के अनुसार बन्दर की हालत बदल कर जब मनुष्य के हाथ और पैर हुए, उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वह खेती करना नहीं जानता

1 P.M. था। और कोई काम नहीं जानता था। उस समय मनुष्य ने मोटे हथियार बनाने शुरू किये। वह शिकार करता था और जानवरों को मार कर खाता था। बाद में सभ्यता बढ़ी तो मोटे हथियारों के स्थान पर नुकीले हथियार बनने लगे और मनुष्य तीर और कमान का इस्तेमाल करने लगा। मगर उस वक्त उसमें व्यक्तिगत पूंजी का सवाल नहीं आता था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Would you like to continue after 2 30 P.M. ?

SHRl HARSH DEO MALAVIYA : All right, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned tili 2 -30 P.M.

The House then adjourned for lunch st one minute past one of the clock-

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock,

Mr. Deputy Chairman in the Chair.

श्री हर्षदेव मालवीय : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जब से मानव समाज शुरू हुआ, प्रारंभिक काल से ही समाज में कोई निजी संपत्ति का सिलसिला नहीं था। प्रारम्भ में मानव जब मानव हुआ, तो उसके पास कोई हथियार नहीं था, वह खेती करना नहीं जानता था, मोटे पत्थर से शिकार करता था, पत्थर मार कर जानवर मारता था। उसके बाद उसने महीन हथियार ढूंढे, नियोलिथिक पीरियड में, और उस समय भी समाज का गठन बिलकुल पूंजी-विहीन था। कारण जो उत्पादन के साधन थे——किसी समाज का गठन इस बात पर निर्भर होता है कि उत्पादन के साधनों से समाज का संबंध क्या है——उस समय किसी व्यक्तिगत साधन

का प्रश्न नहीं था और यह परम्परा काफी दिनों तक चली। हमारा जो ऋगवेद काल आया, हमारा जो प्राचीन युग आया, इस संबंध में मैं आपको श्रीमद्‌भागवत का एक श्लोक सुनाता हूं

"यावत् भ्रियेत जठरं,
तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्,
अधिकं योउ भिमन्रेत्
सस्तेना दण्डमर्हति"।

इसका अर्थ यह है कि एक मनुष्य को उतना ही अन्न पर अधिकार है जितना उसके पेट में समाए और श्रीमद्‌भागवत में कहा गया है कि जो मनुष्य इससे ज्यादा लेता है वह चोर है--ही इज ए थीफ--और उसको उसी प्रकार की सजा देनी चाहिए।

उसके बाद मैं आपको एक उद्धरण अथर्वपेप्पलाद से सुनाना चाहता हूं। श्लोक सुनाता हूं :

"समानी प्रथा सहवोन्न भागः समानेयोक्ते
सहवोयुनज्मि
सम्यञ्चोग्नि समतार्यगं सांभिभिवावृता।"

अर्थात्, एक साथ धन लगा कर, एक साथ श्रम कर जो कुछ भी लाभ हो, उसका सभी सदस्यों में समान भाव से वितरण हो, स्वार्थवश किसी को कम किसी को अधिक नहीं। अन्न और जल का समान वितरण हो। यह कल्पना हमारे प्राचीन भारतीय समाज की है।

उसके बाद मैं आपको ऋगवेद की एक ऋचा सुनाता हूं। जिस समाज में अनुचित वितरण होता है उस समाज के लिए कहा गया है कि :

"नके रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः
यदा कृणोषि नदनुं समूह स्यादित पितेव हूयसे।"

अर्थात्, राज्य व्यवस्था में जिस राजा के राज्य में धनवान लोग धन एवं सुरा से उन्मत्त रहते हैं और श्रेष्ठ जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें उचित दण्ड देकर मेघ के समान जो राजा गर्जता है, उसे ही प्रजा पिता के समान मानती है। आधुनिक काल में हमारे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता मेरे सामने है, जो अंग्रेजी में है और मैं उसको आपके सामने सुना देना चाहता हूं :

Greed's hungry flames mount ever higher
As evil ego's appetite is fed;
! The universe it demands as its victual
Monstrous food mercilessly shames monstrous hunger.

And then, O Terrible with terrific crash your I thunder descends.

तो यह हमारे देश की परम्परा रही है यहां पर जब फाहयान आये थे तो वे 400 ईस्वी ईसा पूर्व चीन से एक बौद्ध यात्री के रूप में जब वे पाटलिपुत्र पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हम प्रधान मंत्री से मिलना चाहते हैं। उस समय प्रधान मंत्री चाणक्य थे। तो उनसे कहा गया कि इस तरफ जाइये, उस तरफ आइये तो शहर के अंत में पहुंच जाओगे। जब वहां पर गली मिलेगी और उस गली में दाखिल होंगे तो वहां पर वेदों की ऋचाएं सुनाई पड़ेंगी। जब आप गली के अंत में जाओगे तो वहां तोते होंगे जिनका वेदोचार सुनाई देगा। वह आश्रम है, वह विद्यापीठ है जहां पर चाणक्य के शिष्य पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटी सी झोपड़ी है जहां चाणक्य रहते हैं और वहीं पर प्रधा मंत्री रहते हैं।

चाणक्य का एक बार चन्द्र गुप्त से मतभेद हो गया था तो चाणक्य ने चन्द्र गुप्त को डांटा। चाणक्य ने कहा चन्द्र गुप्त, तुम क्या हो? तुम जो कुछ हो वह हमने बनाया और मैंने तुमसे क्या लिया? मैं तुम्हारे सामने रोज अपना

[श्री हर्षदेव मालवीय]

हाथ फैलाता हूं। और तुम जो कुछ रख देते हो दाल, चावल, इत्यादि वही मेरा भोजन है, वही मेरा वेतन है और मैंने कुछ नहीं तुम से लिया है।

श्रीमन्, हमारे देश में एक परम्परा सदियों से रही है कि पूंजी और धन का प्रेम कभी नहीं रहा है। हमारे देश में त्याग की महान भावना रही है। दूसरी बात यह है कि शुरू से, प्रारम्भ काल से ही हमारे देश में, हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है कि जो सम्पत्ति वाला है, जो धनवान है, जो शोषण करता है, उसको सजा देनी चाहिए। मैं आपको भृतृहरि का एक श्लोक सुनाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"द्वावम्भसि निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढां शिलाम।
ब्राह्मणं चाप्रवक्तारं धन्वन्तंचाद्‌विनम।"

अर्थात् दो आदमियों के गले में पत्थर बांध कर पानी में डुबो दो। वह ब्राह्मण जो विद्यादान नहीं देता, और वह धनवान पुरुष जो गरीबों को अन्न नहीं देता है, धन नहीं देता है, जो गरीबों की सहायता नहीं करता है और वह धनवान पुरुष जो अपना धन केवल अपने ऊपर ही खर्च करता है।

मैं यहां पर आपको बृहस्पति का श्लोक सुनाना चाहता हूं जो इस प्रकार से है:—

"सभा-प्रपा देवगृह तडाकाराम संस्कृति:।
तथा नाथादरिद्राणां संस्कारो भोजन क्रिया:।।
पालनीया समर्थेस्तु य: समर्थो विसं वदेत्
सर्वस्व हरण दण्ड:, तस्य निर्वासन पुरात्।।"

अर्थात्, राज्य का कर्त्तव्य है कि उस धनवान को जो पीने के जल का स्थान नहीं बनाता है, जो सभा स्थल नहीं बनाता है, जो मंदिर नहीं बनाता है, जो बाग बगीचा नहीं लगाता है, जो उनकी मरम्मत नहीं करवाता है, जो गरीबों को धन तथा कपड़ा नहीं देता है, ऐसे धनवान के लिए राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसकी सब चीजें हर ले, उसकी जायदाद हर ले और उसका देश निकाला कर दे।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह हमारे देश की परम्परा है। सारी दुनिया में एक समय आता है जब कि व्यक्तिगत पूंजी शुरू होती है। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता है और उसको गुलाम बनाता है। ग्रीस या यूनान में बड़ी भारी सभ्यता थी। उस पर रोम वालों ने आक्रमण किया और उन्हें गुलाम बनाया। संसार में प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद एक गुलाम व्यवस्था आई। उसमें बड़ा शोषण हुआ। एक तरफ धार्मिक बढ़े और दूसरी तरफ गरीब दुखी लोग बढ़े। उसका नतीजा क्या हुआ? समाज में बगावत हुई, विद्रोह हुआ, स्लेव रिवोल्ट्स हुए और उसके बाद वह समाज नष्ट भ्रष्ट हो गया, टूट गया, उसके बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था आई जिसको सामन्ती समाज फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। इस फ्यूडल सिस्टम में जो गुलाम जमाने की शोषण प्रथा थी वह समाप्त हुई, फिर भी जायदाद कायम रही और अर्द्ध-गुलाम प्रथा या सर्फस होने लगे। वे तीन दिन अपने खेत में काम करते थे तो फ्यूडल लार्ड के खेते में चार दिन काम करते थे। वह बहुत भयंकर शोषण की प्रथा थी। समाज का ऐसा क्रम होता है कि जब समाज पैदा होता है कि उसके अन्दर ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो समाज को नष्ट कर देते हैं। इस सामन्ती समाज में एक तरफ सामन्त थे तो दूसरी तरफ अर्द्ध-दास थे। मानव समाज का ज्ञान बढ़ता गया, रास्ते ढूंढ़े गये, समुद्री रास्ते ढूंढे गये और एक व्यापारी वर्ग खड़ा हुआ जिसने धन एकत्रित किया। मनुष्य को आवश्यकता थी तो मनुष्य ने कुछ वैज्ञानिक सफलताएं प्राप्त कीं, रेलवे इंजन ढूंढा, वाष्प शक्ति ढूंढी उससे कारखाने

बने। यह जो नया पूंजीपति वर्ग सामन्ती समाज के अन्दर पैदा हुआ वह शक्ति में आना चाहता था। वह चाहता था कि कारखानों में गांवों से आकर लोग काम करें, शिक्षा-प्रसार हो, सड़कें बनें, यातायात की सुविधा हो। परन्तु जो सामन्ती वर्ग था वह नहीं चाहता था और सामन्तों में और पूंजीपतियों में संघर्ष हुआ। उसका नतीजा, मान्यवर, आप जानते हैं कि फ्रांस की महाक्रान्ति हुई जिसमें सामन्ती व्यवस्था नाश हो गई और पूंजीवाद की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। पूंजीवाद का लम्बा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पूंजीवाद का क्रम चलता रहा। इसके अन्दर भी झगड़ा पिछली शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस पूंजीवादी समा के अन्दर एक कीड़ा पैदा हो गया था जो धीरे-धीरे उसे खा रहा था। वह था मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग वह गांवों से हटा था जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, सम्पत्ति नहीं थी, कोई साधन नहीं था। वह अपना श्रम बेचता था और उसका बड़ा भयंकर शोषण होता था। पूंजीवाद धीरे-धीरे साम्राज्यवाद में परिवर्तित हुआ और बाद में उसने भारत को भी गुलाम बनाया। इस प्रकार पूंजीवादी, साम्राज्यवादी निजाम सारे संसार में फैल गया। उसके बाद सन् 1917 में रूस में बड़ी भारी क्रान्ति हुई और उसके अन्तर्गत रूस में एक नई व्यवस्था प्रारम्भ हुई जिसको साम्यवादी, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। वह समाजवादी व्यवस्था दुनिया के 1/6 हिस्से में स्थापित हुई, वह धीरे-धीरे बढ़ती गई और समाजवाद का क्षेत्र धीरे-धीरे संसार में बढ़ता चला जा रहा है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अगर संसार के समाज को आप देखें तो संसार का समाज शनैः शनैः हमेशा बढ़ता रहा है और एक युग आता है, वहां युग समाप्त होता है, फिर नया युग आता है। और अब नया युग संसार में समाजवाद का युग आने वाला है और इस समाजवाद के युग में हमारे भारत ने भी समाजवाद के सिद्धांत को माना है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में और महात्मा गांधी की प्रेरणा से हम प्रारम्भ से ही इस पर चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं 'हरिजन 1938' से उन का उद्धरण दे रहा हूं :

"I want to bring about an equalization of status. The working classes have all these centuries been isolated and relegated to a lower status. They have been shoodras, and the word has been intercepted to mean an inferior status. I want to allow no differentiation between the son of a weaver o£an agriculturist and of a schoolmaster."

fw trttfi sft # q^ *m* ?frc ^T«TT :-

"Economic equaility of my conception does not mean that everyone would literally have the same amount. It simply means that everybody should have enough for his or her need. The elephant needs a thousand times more food than the am, but that is not an indication of inequality. So the real meaning of economic equality is : 'To each man according to his needs'. That was the definition of Marx. Tf a single man demanded as much as a man with wife and four children that would be a violation of economic equality."

मैं इस के विवेचन में नहीं जाना चाहता, परन्तु जहां तक कार्ल मार्क्स के समाजवाद के मूल सिद्धांत का प्रश्न है—टू ईच मैन एकार्डिंग टू हिज नीड्स ऐंड क्वालिटी आफ वर्क, वह सिद्धांत हमारा माना हुआ है और हम ने तय कर लिया है कि भारत में हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव है और यहां के बहुत से दूसरे दलों का प्रस्ताव है और 1954 में हमारी लोक सभा में भी यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था।

[श्री हर्षदेव मालवीय]

तो हमारा समाजवाद प्राप्त करने का ध्येय है और हम समझते हैं कि हम इस में सफल होंगे। पंडित जी का एक उद्धरण मेरे पास है, अगर आप समय दें तो मैं उसको पढ़ दूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : On non-official days, the time is fixed.. You will have only fifteen minutes. It cannot be increased. I have no option.

श्री हर्षदेव मालवीय : तो मैं पंडित जी का उद्धरण नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वह बहुत सुन्दर है। उन्होंने साफ कहा है कि हम को देश के अंदर यह जो संपत्ति का फर्क है इस को समाप्त करना होगा और उस के लिये मैं समझता हूं कि हमारे पिछले 25 साल के इतिहास के संबंध में हमारे भाई नत्थी सिंह जी ने और हमारे दूसरे भाइयों ने बहुत कुछ कहा है। हमारा पिछले 25 साल का इतिहास बतलाता है कि हमारे संविधान में राइट टू प्रापर्टी को जो सेंक्टिटी दी गयी, उस को इतना पवित्र बना दिया गया कि वह हमारे हर प्रगतिशील कदम के लिये एक रुकावट डालता रहा, एक रोड़ा बना रहा। हमारे भाई कल्प नाथ जी ने अपने भाषण में कई नमूने दिये चाहे वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो या जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का सवाल हो, चाहे प्रीवी पर्स को समाप्त करने का सवाल हो या रजवाड़ों को समाप्त करने का सवाल हो, हर एक में प्रापर्टी के संबध में एक धारा रखी हुई है और वह उस के रास्ते में रोड़ा अटकाती है। उसे हम को समाप्त करना होगा और इसी लिये मैं समझता हूं कि नत्थी सिंह जी का जो प्रस्ताव है कि हम अपने संविधान से प्रापर्टी राइट वाली चीज को हटा दें वह उचित है। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राइट टू इम्पलायमेंट का जहां तक सवाल है मैं नन्दा जी से सहमत हूं कि राइट टू इम्लायमेंट की जगह राइट टू वर्क होना चाहिए। यह कई देशों के संविधानों में है। अगर इस को हम मानेंगे तो वह देश की परम्परा के अनुसार ही होगा और प्रस्ताव की जो भावना है वह राष्ट्र की भावना के अनुसार है। यह देश की प्राचीन परम्पराओं के अनुसार होगा और हमारे देश में जो महान विभूतियाँ हुई हैं रवीन्द्र नाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं, यह उन के विचारों के अनुसार होगा और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को इस सदन को जरूर स्वीकार करना चाहिए।

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार) : उपसभापति जी, पिछले सप्ताह इस सदन में श्री नत्थी सिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन के विचार के लिए रखा था उस प्रस्ताव पर बहस में दूसरे ही रोज जब अखबारों में यह खबर आई तो कई तबकों के लोग पूछने लगे कि क्या संविधान में यह संशोधन होने जा रहा है। तो मैंने देखा कि यह प्रस्ताव अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और सामयिक है इसलिए कि आज इस देश के राष्ट्र-नेता ने गरीबी मिटाने का नारा दिया और कहा कि इस देश से हम गरीबी मिटाना चाहते हैं। यदि गरीबी मिटाना चाहते हैं तो गरीबी मिटाने के लिए वैसा इलाज भी हमको करना होगा। अब वह बीमारी कहां है? वह आज सम्पति के सवाल पर है। इन्होंने यह प्रस्ताव ठीक रखा है कि आज यह तय होना चाहिए कि सम्पत्ति का अधिकार नहीं बलिक रोजगार का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, काम की गारन्टी लोगों को मिलनी चाहिए जिसके चलते आज देश में तरह तरह की बातें उठती हैं, तरह तरह के षड़यंत्र किये गये, तरह तरह का वातावरण बनाया गया कि किस तरह से इस प्रगतिशील कदम को रोका जाए। प्रतिक्रियावादी तत्वों ने अपने आपको इस

प्रगतिशील कदम को कुचलने के लिए संगठित किया। अतः इस प्रस्ताव का कोई भी समाजवादी और प्रगतिशील आदमी स्वाभाविक रूप से समर्थन करेगा।

आज जिस तरह से सम्पत्ति के सवाल पर समाज में, समाज में ही क्या दुनिया में यह विषमता बनी हुई है, बड़े देश छोटे देशों को मिटाना चाहते हैं अपनी दौलत की बदौलत, आज जो अमरीकी साम्राज्य-वाद दुनिया पर छाने की कोशिश कर रहा है अपनी दौलत की बदौलत, आज बड़े बड़े पूंजीपतियों ने देश में चाहे बैंकों के माध्यम से, चाहे उद्योगों के माध्यम से, चाहे दूसरे धंधों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हालांकि अखबार के माध्यम से कुछ कम हो रहा है, इन माध्यमों से एक दूषित वातावरण तैयार करके जनतंत्र के विरुद्ध एक हवा तैयार करके उन लोगों के मन में एक ऐसी भावना फैलाई कि इंदिरा गांधी सम्पत्ति को नहीं रहने देगी। हमने केवल यह कहा है कि हमें गरीबी मिटानी है और कांग्रेस उस ओर बढ़ रही है। तो आज इन्होंने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, यह प्रस्ताव बड़ा ही सामयिक है।

आज आप जमीन के सवाल को उठाकर देखिये, आज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमीन है। जमीन के ही मालिकों के लड़के नौकरी में हैं। उन्हीं के पास उद्योग धंधे हैं। उन्हीं के पास सारी चीजें हैं। चाहे जमीन के सवाल को लीजिए, चाहे उद्योग के सवाल को लीजिए, चाहे नौकरी के सवाल को लीजिए, तमाम बड़ी बड़ी जगहों में सम्पत्ति वाले इस ढंग से कब्जा किए हुए हैं कि इस मुल्क के 70 फीसदी लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज समय आ गया है जब हमें संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। हम संविधान में परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम एक से एक मौलिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यह जो बुनियादी प्रश्न है, जिस सवाल पर हम लड़ रहे हैं, जिस सवाल पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, जिस सवाल पर हमारी प्रधान मंत्री को अपनी पार्टी से भी लड़ना पड़ा, जिस सवाल पर हमारी प्रधान मंत्री को न्यायपालिका से भी लड़ना पड़ा, जिस सवाल पर हमारी प्रधान मंत्री को जनता के बीच में जाना पड़ा, जिस सवाल पर आज दुनियां की आंख इंदिरा गांधी की ओर लगी हुई हैं उसके लिए आज अच्छा समय आया है कि हम संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं। तो गरीबी मिटाने का जब हमने संकल्प लिया है तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए।

हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिये कि एक तरफ राइट टू प्रापर्टी को रहने दें और दूसरी तरफ हम गरीबी मिटाओं का नारा दें तो ये दोनों बातें कहां तक एक साथ कारगर हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी में जब संविधान संशोधन की बात आई है तो उसमें इस बात को भी शामिल किया जाए। मैं इस संबंध में सुझाव भी दूंगा।

यह जो प्रस्ताव आया है मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हर एक प्रगतिशील, हर एक गरीबों का हमदर्द, गरीबों का समर्थक इस प्रश्न का तहेदिल से समर्थन करेगा ताकि देश को एक नई दिशा मिल सके, ताकि इस देश में जो करोड़ों शोषित-पीड़ित गरीब, दीन-दुखी सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं उनको मुक्ति मिल सके। इन्दिरा जी ने बहुतों को मुक्ति दिलाई है, बन्धक मजदूरों को भी मुक्त कराया है। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से उनको पुश्त दर पुश्त महाजनों की चाकरी

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

करनी पड़ती थी। अब तो यह परम्परा खत्म हो रही है। कहीं-कहीं तो हमने देखा, दो-चार रुपये के पीछे गरीबों को एक-दो कोस नहीं 20-20, 25-25 कोस बाल्टियां ढोनी पड़ती थीं। आज भी समाज में बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जिनसे हमें लड़ने की जरूरत है। उन बुराइयों को हमें मिटाने की जरूरत है। आज इस बात की जरूरत है कि इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिये प्रधान मंत्री के कार्य-क्रम को और मजबूती से लागू करने के लिए सदन को विचार करना चाहिये। संविधान में भी इस प्रश्न के संबंध में संशोधन लाना चाहिये। जब तक यह नहीं होगा मैं समझता हूं कि हमारे जो भी बने बनाए काम हैं और जो काम हम करना चाहते हैं या जिस समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य की ओर हम जाना चाहते हैं हम नहीं जा सकेंगे। इसलिये नत्थी सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है म उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन भी उसका समर्थन करेगा।

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP (Maharashtra) : Mr. Deputy Chairman, at the outset, 1 would congratulate my esteemed colleague, Shri Nathi Singh for having moved this Resolution in this House. 1 have heard his speech and also the speeches of the other Members of the Treasury Benches and I have come to the conclusion that what has been demanded in this Resolution is acceptable to all the Members of this House. So, there should not be any hesitation on the part of the Government to accept the Resolution as it has been moved, but after making some modifications here and there. The Resolution states that the social and economic inequalities should be removed, that the right to property should be deleted from the Constitution and that the right to work should be enshrined in the Constitution. This is the gist of the Resolution. There is nothing new in this. This has been the declared po'icy of the ruling party, the Congress. In the year 1969 when the Congress Session was held in Bombay------there was a split in the Congress at the time-------- a slogan was raised, and that slogan was to remove unemployment and poverty from the face of this country. The hon. President of the Congress has referred to this slogan in his letter to the Congress workers. The letter is dated the 2nd July, 1975.

3 P. M. In that letter he has stated:

"The Indian people gave to the Congress a mandate in 1971 to take the country forward towards an egalitarian society based on social justice. The objective of *garibi hatao* contains in it a definite and clear direction in which the country wanted to move. The forces of *status quo* and reaction tried to thwart the mandate of the people. But in spite of all that, the Congress is forging ahead with their ideals. Now the question before the House is, if this is the goal, if this is the ideal, then what is coming in the way of the ruling party, the Congress Party, in giving the right to work to those who have been neglected throughout, since days immemorial ? Since independence, if you are to take the recent period, everybody has been talking about the down-trodden people. Just now my friend, Mr. Gunanand Thakur, referred to the pitiable plight of the people of the villages, of the down-trodden, who are without employment and who find it very difficult to make both ends meet. Of those people we are talking here. And they want work. And if work is not given, then naturally they are thrown on the street and they have to face what they have been facing continuously for years together. In this country the lowest 30 per cent of the population is actually on the verge of starvation. More than 60 per cent of the population is below the poverty-line. And if we are not going to give them what they want—they want simply work to live then the very right to live is being denied to those people. What is the Government going to do ? Certain Members said that the time is not yet ripe for giving this right to people, the right to work. If this is the state of affairs in this country, then there is a wide gap between the declared policy of the Congress Party and the Congress Government and the actual! implementation of their slogans and their

policies. It is only a political slogan given to attract the people, and when the time for implementation comes, then so many hurdles are put in and so many excuses are given so that the actual implementation is not done. Recently from top to bottom every Congressman in this country was saying at the top of his voice that the reactionary forces in this country were coming in the way, that whatever progressive measures were taken by the Congress Party, the reactionary forces because of "gherao", because of agitation and because they wanted to create chaos in the country, were coming in the way, and the only difficulty in the implementation of these good policies was the Opposition parties and the reactionaries in this country. Now because of the emergency, they have been dealt with. Practically there is no opposition as such during this emergency period in the country. Everything is quiet on the western front. Then what is coming the way ? Mr. Gunanand Thakur referred to the Committee which has been appointed by the Congress Party, popularly known as the Swaran / Singh Committee, on the question of j constitutional amendments which they want to bring. But nothing has been said up till now, from what has appeared in the press, about taking away the right to property. Nothing has been said about giving the right to work to the people, the right to live, as a matter of fact. Only certain Constitutional changes are there which are discussed in the country and which are going to be brought about soon and which are going to be considered in this House and they are in respect of curtailment of certain rights like the right of association, the right to freedom of expression of one's views and thoughts and so on and they are putting certain restrictions on the rights of courts which, in their opinion, are coming in the way of implementation of certain of their progressive policies and enactments, the policies and programmes of the State Governments and the Central Government. These are the only things with which the Swaran Singh Committee is concerned. But, about the fundamental right of the lowliest of the low in this country, who wants to \ live, that right is not being given to him, I mean, the right to work. Therefore, what is the state of affairs at the present moment? After 28 or 29 years of our independence, nobody has cared to make any assessment or prepare a list of the persons who are remaining unemployed in the tribal areas in the hilly tracts and in the villages. No, body has cared to make a list of those persons who are unemployed or semi-employed in these areas. Nobody cares for them. Only the city people are able to go to the Employment Exchanges and are able to get themselve registered there and some of them are able to get employment somewhere. A small percentage of these people are able to get employment and the others a»e there only on the live registers of these Employment Exchanges. But, in the villages, nobody has cared to make a list of those people who are unemployed. What is the condition or state of affairs of those who are without employment continuously for many years in the villages ? Nobody cares to know about their condition. Sir, 1 come from a district one-third of which is a tribal area. Even after 28 or 29 years of independence a majority of the people there are living on the leaves of trees and the roots of plants and during the major portion of the year they are living on roots and leaves only ! This is the thing which is going on in the country. That is why the All-India Acharya Sammelan in Wardha has passed a resolution. And they have also said that it is a matter of great concern that even after 28 years of our freedom, millions of our countrymen are living below the poverty line and are not getting their elementary needs. And, therefore, concerted efforts should be made through both official and voluntary agencies to assure work for all and to raise the living levels of the weakest sections of the society. The approach of the "Antyodaya," that is, welfare of the lowest, is towards assuring work for all which should be the foundation of our national planning. But, Sir, are they going to do it ?

SHRI DEORAO PATIL : Yes, we are doieg if.

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP : If you are going to do it, then there cannot be any mixed economy in the country. What Mr. Harsh Deo Malaviya has said here is that if you want to follow the path of socialism in this country , then you will have to deal very severely with the money bags in this country. Are you prepared to do that ? There is no use making any noise. Are you going to touch the monopolists in this country ? There were 75 big industrial houses in the country and their number has increased and their number has gone up to IOO and it is increasing now while those who are poor are suffering. Sir, Panditji said at Jaipur some months before his death which I would like *to* quote here:

> "Socialism is the inevitable outcome of democracy. Political democracy has no meaning if it does not embrace economic democracy and economic democracy is nothing but socialism."

He has said this in categorical and unequivocal terms. Further, he has added :

> "Monopoly is the enemy of socialism. To the extent it has grown during the last few years, we have drifted away from the goal of socialism ____ "

This is what Pt. Nehru has said. If we want to do justice to the poorest in this country, to those who are down trodden, then the only way for us, those who are progressive those who want to do something for their countrymen who are in abject poverty for years together after independence—then the only way out is that we should follow, the way of socialism in right earnest.in words and in spirit. If only we say that we are for socialism, then these are empty words, broken promises given to the people. If, we want to do something, we will also have to do away with the propertied class in this country. And for that, our economy our approach, will have to be changed. Government will have to change its approach. This approach of mixed economy is not going to do justice to the people... *(Time bell rings).* In the mixed economy the richer class, the money bags, will flourish in this country. They will exploit the people. And if there is exploitation of a man by a man, then there cannot I be any socialist society. In a socialist j society, the man who wants work has to be given work and the bare necessities of life at least are given to him. This is the basic thing which must be done in this country Mr. Nathi Singh, by moving this Resolution, has touched upon this very important and very essential thing which is needed in this country... *(Time bell rings).* And, therefore, Sir, I will only quote this:

> "Unless socialism became a reality, democracy in India would be blown up by the explosion which otherwise would be inevitable."

Therefore, if you want to save the country, you should follow the path which is our declared policy. We should follow socialism. If not, then there will be a seething discontent in this country which will ultimately be exploded—on what day time and where, I cannot say. But we cannot fool the people all the time.

With these word Sir, I support the Resolution moved by my friend.

شری سید نظام‌الدین (جموں و کشمیر) : جناب عالی - آج جو قرارداد نتھی سنگھ صاحب نے معزز ایوان کے سامنے پیش کی ہے اس پر بہت ساری تقریریں ہوئی ہیں - مجھے نتھی سنگھ صاحب کی قرارداد سے پورا پورا اتفاق ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں - یہاں پر کچھ ممبر صاحبان نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ رائٹ ٹو امپلائمینٹ کی جگہ پر رائٹ ٹو ورک

ہے اور یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جائیداد کا حق ہونا چاہئے ۔ لیکن جائیداد کا حق کس حد تک ہونا چاہئے اس کے بارے میں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ۔ کیا جائیداد کا حق اپنے سماج کے خلاف بھی آدمی کو ملنا چاہئے یا نہیں ملنا چاہئے ۔

Right to property *vis-a-vis* State and right to property *vis-a-vis* society.

یہ بات سمجھ سے باہر کی ہے ۔ جب بھی ہم کوئی سماجی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ۔ ہم ترقیاتی پروگرام کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک حق ہے جس کی وجہہ سے ہمیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے تو کبھی جو ترقیاتی پروگرام ہوتے ہیں وہ روکے پڑے رہتے ہیں اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں رائٹ ٹو پرروپرٹی کو آئین میں جگہ نہیں ملنی چاہئے ۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو نجی جائیداد رکھنے کا حق ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ مالویہ جی نے کہا اتنا تو حق ہر ایک کو ملنا چاہئے اس کے پاس ایک مکان ہو تھوڑی سی سہولیات ہوں لیکن یہ حق کس کو نہیں ملنا چاہئے کہ اس کے پاس کروڑوں اور اربوں روپیہ ہو اور وہ روپئے سے روپئے پیدا کرتا چلا جائے — ساری جائیداد چند

ہونا چاہئے ۔ یہاں پر میں نتھی سنگھ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ رائٹ ٹو امپلائمینٹ ایک صحیح لفظ ہے جس کا استعمال یہاں پر ہونا چاہئے ۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آزادی کو ۲۹ سال ہو گئے ہیں اور پچھلے ۲۹ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں اقتصادی لحاظ اور معاشی لحاظ سے کافی ترقی ہوئی ہے ۔ ہماری قومی آمدنی بہت حد تک بڑھ گئی ہے ۔ ہم نے انڈسٹری کے میدان میں اور کارخانے بنانے کے میدان میں کافی ترقی کی ہے ۔ ہم نے ایگریکلچرل پروڈکشن کے بارے میں بھی کافی ترقی کی ہے اور زرعی آمدنی میں بھی کافی ترقی کی ہے لیکن یہ سب بات ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ترقی کی ہے اس کا فائدہ سارے ملک کو اچھی طرح سے نہیں مل رہا ہے ۔ اس کی وجہہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو دولت ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہے ۔ اس ملک کے جو عام آدمی ہیں غریب لوگ ہیں جو ہماری آبادی کا زیادہ حصہ ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے ۔ اس کی سب سے بڑی وجہہ یہ ہے کہ دستور میں ہم نے رائٹ آف پراپرٹی رکھا

کے لئے ضروری ہو لیکن اس کے بعد رائٹ ٹو پراپرٹی کسی صورت میں کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہونا چاہئے - رائٹ ٹو پراپرٹی کی وجہہ سے دوسری مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس ملک میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو کام کرنے کو نہیں ملتا - اس لئے اس قرارداد کا جو دوسرا حصہ ہے کہ رائٹ ٹو پراپرٹی کو آئین سے نکال کر اس کی جگہ کام کرنے کا حق رائٹ ٹو امپلائمینٹ ہونا چاہئے تو اس کے ساتھ وابستہ ہے - اگر ہم جائیداد پر حد بندی لگا دیں تو تو اس ملک میں روزگار کے وسایل بھی زیادہ بڑھ جائینگے - اور روزگار کے وسایل بڑھنے سے رائٹ ٹو امپلائمینٹ کے لئے سہولیات پیدا ہو جائینگی - نتھی سنگھ جی اپنی قرارداد میں یہ چاہتے ہیں کہ اقتصادی مساوات حاصل کرنے کے لئے ان دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے - جناب والا — ہر کوئی آدمی اس ملک میں جانتا ہے کہ ہماری آبادی کا جو بہت بڑا حصہ دیہات میں رہتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا معاشی انقلاب رونما نہیں ہوا ہے - وہ اب بھی بہت ہی پرمیٹیو ٹائپ سیدھی سادی زندگی بسر کر رہے ہیں - اب

[شری سید نظام الدین]

ہاتھوں میں اکٹھی نہیں ہونی چاہئے - ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مینیم سبسٹینس لیول سے بھی کم پر گذارہ کر رہے ہیں - جن کے پاس کوئی مکان نہیں ہے جن کے پاس زمین نہیں ہے جن کی پاس کوئی جائیداد نہیں ہے - جب کبھی ہم ترقیات کے قدم اٹھانا چاہتے ہیں - جب ہم جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں جب ہم لوگوں کو اقتصادی سہولت دینا چاہتے ہیں تو اس وقت سبھی رکاوٹیں رائٹ ٹو پراپرٹی کی وجہہ سے کھڑی ہو جاتی ہیں -

جب ہم انتیس سال کی آئینی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے جھگڑے عدالتوں میں موجود ہیں وہ سارے جھگڑے رائٹ ٹو پراپرٹی سے پیدا ہو رہے ہیں اور یہی ایک وجہہ ہے جس سے ہمارے بہت سے کاموں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے - اس لئے میں نتھی سنگھ جی کی اس اقرارداد کی اس حد تک مکمل حمایت کرتا ہوں کہ ہمارے دستور میں جو ذاتی جائیداد رکھنے کا حق ہے وہ بالکل نہ ہونا چاہئے - ذاتی جائیداد اس حد تک رکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا جو کسی کو اپنا گذارہ کرنے

تعلق جائیداد کا حق رکھنے کے ساتھ ہے - کہیں اگر ہم سڑک بنانا چاہیں جو عوامی فلاح بہبود کے لئے ہو - تو اس میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے - ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں جو زمینی اصلاحات کے قوانین بنائے گئے ان پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے - جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ان پر عملدرآمد ہو - وہاں بھی جو چیز مشکلات پیدا کرتی ہے وہ جائیداد رکھنے کا حق ہے - جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں وہ زمینی اصلاحات کے عمل درآمد میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں جب ہم نے چاہا کہ یہاں کے بڑے بڑے پرنسیز ہیں جن کو پریوی پرس ملتا تھا ان کے پریوی پرس کو ختم کر دیا جائے تو اس وقت بھی جس چیز کا سہارا انہوں نے لیا وہ یہی حق تھا اور رائٹ آف پراپرٹی کا سہارا لے کر عدالتوں کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا اور یہاں سماجی انقلاب آنے میں رکاوٹ پیدا کر دی - جناب عالی—ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جو ہمارا ۲۰ نکاتی پروگرام ہے جس پر اس ملک میں پچھلے چند مہینوں سے عمل درآمد ہو رہا ہے اس میں بھی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہی رکاوٹ ہے اور کچھ لوگ بھی ان کو دونوں وقت کھانا نہیں مل رہا ہے - اب بھی ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں - اب بھی ان کے پاس رہنے کے لئے مکان نہیں ہیں - اور جن کے پاس چھوٹی چھوٹی جائیدادیں ہیں زمینیں ہیں لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اس زمین کو جوت لیں اور اس سے پیداوار حاصل کر لیں - اس لئے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ملک میں جہاں کروڑوں غریب عوام رہتے ہوں چند لوگوں کو جن کی فی صد آبادی بہت کم ہے ان کو یہ حق ہو کہ وہ اپنے پاس کروڑوں کی جلائیداد رکھ لیں—جناب والا— اس وقت آئین کی دفعات کی ترمیم کے بارے میں بھی غورو خوص ہو رہا ہے اور سارے آئین پر ایک نظر ثانی کرنے کی کوشش جاری ہے تو ہماری یہی گذارش ہوگی کہ جس وقت ہم آئین کی دفعات پر نظر ثانی کر لیں اور جب ہم سارے آئین کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے آئین کا جو بنیادی حق ہے جائیداد رکھنے کا اس پر بہت ہی غورو خوض کرنے کی ضرورت ہے - ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ۲۰ سال میں ہماری عدالتوں کے اندر جتنے بھی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں ان سارے جھگڑوں کا

روز آپ کو روزگار حاصل ہو جائے گا یہ معنی نہیں ہیں -

رائٹ آف پراپرٹی کے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ جس شخص کے پاس جائیداد نہیں ہے دوسرے روز اس کے لئے جائیداد پیدا کرے - اس لئے جناب والا —اس قرارداد کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نشان دہی کروں - میرا تو یہ خیال ہے کہ نتھی سنگھ جی نے بہت بڑا کام کیا - انہوں نے ایک ایسی قرارداد اس موجودہ ایوان کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم آئین سے رائٹ آف پراپرٹی جائیداد رکھنے کا جو حق ہے اس کو نکال دیں اور اس کے بدلے میں لاکھوں عوام کی ترجمانی کریں - لاکھوں عوام کے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کریں اور آئین میں یہ حق رکھ لیں کہ جتنے لوگ ہندوستان میں رہے ہیں - جتنے لوگ ہمارے ملک میں ہیں ان کو کام کرنے کا روزگار حاصل کرنے کا اور اپنا پیٹ پالنے کا حق حاصل ہوگا اور یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کی کمائی سے لوگوں کی محنت سے پیسہ جمع کرکے اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے کروڑوں

[شری سید نظام الدین]

جن کے پاس جائیداد ہے وہ رائٹ آف پراپرٹی کا سہارا لے کر اڑچن پیدا کر رہے ہیں - اس ملک کے لاکھوں غریبوں اور بے روزگاروں کے لئے رائٹ آف امپلائمینٹ کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر شاید اس ملک میں ایک سماجی انقلاب نہیں ہو سکتا - کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عملی چیز نہیں ہے - میں اس بات سے متفق ہوں کہ عملاً شاید یہ ممکن نہ ہو - رائٹ آف امپلائمینٹ - کام کرنے کا حق اگر ہم آئین میں رکھ دیں اور جو ہمارے لاکھوں بے روزگار ہیں ان کو کام مل جائے لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ اگر ہم نے جائیداد رکھنے کا حق رکھا تھا تو اس کے معنی یہ ہرگز نہیں تھے کہ جس کے پاس جائیداد نہ ہو اس کو ہمیں جائیداد دینی ہے یہ ایک ادھیکار کا سوال ہے حق رکھنے کا سوال ہے - جب کسی شخص کے پاس یہ حق ہوگا کہ اس کو امپلائمینٹ کا حق موجود ہے تو وہ اس حق کے لئے لڑ سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے لیکن آئین میں یہ حق رکھنے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ اگر ہم نے یہ حق جن لوگوں کو دیا تو ان کو امپلائیمینٹ ملے گا ہی - اپ کو روزگار کا حق حاصل تو دوسرے

اور اربوں روپئے کی جائیداد رکھ لیں اور اس کے بعد اس جائیداد سے اور جائیداد پیدا کرے۔ چند ہاتھوں میں سارے ملک کی دولت سمٹ کر اس پر قبضہ کرے۔ اس ملک میں جتنی دولت آج موجود ہے اس کا فائدہ یہاں کے لاکھوں غریب عوام کو ملے۔ یہاں کے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو ملے ان لوگوں کو ملے جن لوگوں کے پاس جائیداد نہیں زمین نہیں۔ جن کے پاس مکان نہیں دن بھر کی محنت کے بعد جن کو کھانے کو نہیں ملتا جن کو شام کو سر چھپانے کے لئے جگہ نہیں ملتی۔ جو رات دن محنت کرتے ہیں لیکن ان کے تن پر کپڑا موجود نہیں ہے اس لئے جناب والا۔میں اس قرار داد کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں۔

†[श्री **सैयद निजामुद्दीन** (जम्मू और काश्मीर): जनाब आली—आज जो करारदाद नत्थी सिंह साहब ने मुअज़्ज़िज ऐवान के सामने पेश की है उस पर बहुत सारी तकरीरें हुई हैं। मुझे नत्थी सिंह साहब की करारदाद से पूरा पूरा इत्तिफाक है और मैं इसकी ताईद करता हूं। यहां पर कुछ मेम्बर साहबान ने यह एतराज उठाया था कि राईट टू एम्प्लायमेंट की जगह पर राईट टू वर्क होना चाहिए। यहां पर मैं नत्थी सिंह साहब से इत्तफाक करता हूं राईट टू एम्प्लायमेंट एक सही लफ्ज़ हैं जिसका इस्तेमाल यहां पर होना चाहिये।

हम देख रहे हैं कि हमारी आजादी को 29 साल हो गये हैं और पिछले 29 सालों में हमने देखा कि इस मुल्क में इक्तसादी लिहाज और मुआशी लिहाज से काफी तरक्की हुई है। हमारी कौमी आमदनी बहुत हद तक बढ़ गई है। हमने इण्डस्ट्री के मैदान में और कारखाने बनाने के मैदान में काफी तरक्की की है। हमने एग्रीकल्चर्ल प्रोडक्शन के बारे में भी काफी तरक्की की है और ज़रई आमदनी में भी काफी तरक्की की है लेकिन ये सब बात होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो हमने तरक्की की है उसका फायदा सारे मुल्क को अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क की जो दौलत है वह चन्द लोगों के हाथों में जमा हो गई है। इस मुल्क के जो आम आदमी हैं गरीब लोग हैं जो हमारी आबादी का ज्यादा हिस्सा है इनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दस्तूर में हमने राईट आफ प्रापर्टी रखा है और यह बात समझी जा सकती है कि जायदाद का हक होना चाहिए। लेकिन जायदाद का हक किस हद तक होना चाहिए इसके बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या जायदाद का हक अपने समाज के खिलाफ भी आदमी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।

Right to property *vis-a-vis* State and right to property *vis-a-vis* society.

यह बात समझ से बाहर है जब भी हम कोई समाजी तबदीली लाना चाहते हैं हम तरक्कियाती प्रोग्राम को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो कभी जो यह एक है जिसकी वजह से हमें अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो कभी जो तरक्कियाती प्रोग्राम होते हैं वे रुके पड़े रहते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में राईट आफ प्रापर्टी को

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री सैयद निज़ामुद्दीन]

आईन में जगह मिलनी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि एक आदमी को निजी जायदाद रखने का हक हो सकता है लेकिन जैसा कि मालवीय जी ने कहा इतना हक हरेक को मिलना चाहिए उसके पास एक मकान हो थोड़ी सी सहूलियात हों लेकिन यह हक किसी को नहीं मिलना चाहिए कि उसके पास करोड़ों और अरबों रुपयें हों और वे रुपये से रुपये पैदा करता चला जाये। सारी जायदाद चन्द हाथों में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मिनिमम सबसिसटेन्स लेवल से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं जिनके पास कोई मकान नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई जायदाद नहीं है। जब कभी हम तरक्कियात के कदम उठाना चाहते हैं जब हम जायदाद को तकसीम करना चाहते हैं, जब हम लोगों को इक्तिसाज़ी सहूलियत देना चाहते हैं तो उस वक्त सभी रुकावटें राईट टू प्रापर्टी की वजह से खड़ी हो जाती हैं।

जब उनतीस साल की आयनी तारीख पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जितने झगड़े अदालतों में मौजूद हैं वह सारे झगड़े राईट टू प्रापर्टी से पैदा हुए हैं और यही एक वजह से जिससे हमारे बहुत से कामों में रूकावट पड़ रही है इसलिए मैं नत्थी सिंह जी की इस करारदाद की इस हद तक मुकम्मल हिमायत करता हूं कि हमारे दस्तूर में जो जाती जायदाद रखने का हक है वह बिल्कुल न होना चाहिए। जाती जायदाद इस हद तक रखने पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता जो किसी को अपना गुज़ारा करने के लिए ज़रूरी हो लेकिन इसके बाद राईट टू प्रापर्टी किसी सूरत में किसी भी शख्स को हासिल नहीं होना चाहिए। राईट टू प्रापर्टी की वजह से दूसरी मुशकलात हमारे सामने आ रही हैं और वे ये हैं कि इस मुल्क में लाखों लोग हैं जिनको काम करने को नहीं मिलता इसलिए इस करारदाद का जो दूसरा हिस्सा है कि राईट टू प्रापर्टी को आईन से निकाल कर इसकी जगह काम करने का हक राईट टू एम्प्लायमेंट होना चाहिए। वे इसके साथ वाबस्ता है। अगर हम जायदाद पर हदबन्दी लगा दें तो इस मुल्क में रोज़गार के वसायल भी ज्यादा बढ़ जायेंगे और रोज़गार के वसायल बढ़ने से राईट टू एम्प्लायमेंट के लिये सहूलियात पैदा हो जायेंगी। नत्थी सिंह जी अपनी करारदाद में यह चाहते हैं कि इक्तिसादी मसावात हासिल करने के लिये इन दो बातों का होना बहुत जरूरी है। जनाबवाला--हर कोई आदमी इस मुल्क में जानता है कि हमारी आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा देहात में रहता है उसकी ज़िन्दगी में कोई बहुत बड़ा मुआशी इन्कलाब रुनमा नहीं हुआ है। वे अब भी बहुत ही प्रिमिटिव टाईप सीधी सादी ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं। अब भी उनको दोनों वक्त खाना नहीं मिल रहा है। अब भी उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, अब भी उनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं और जिनके पास छोटी-छोटी जायदादें हैं, जमीनें है लेकिन उनके पास ज़राये नहीं हैं कि वे उस ज़मीन को जोत लें और उससे पैदावार हासिल कर लें। इसलिये यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इस मुल्क में जहां करोड़ों गरीब अवाम रहते हों चन्द लोग को जिनकी फीसदी आबादी बहुत कम है उनको यह हक हो कि वे अपने पास करोड़ों की जायदाद रख लें। जनाबवाला-- इस वक्त आईन की दफात की तरमीम के बारे में भी गोरो खोस हो रहा है और सारे आईन पर एक नजर सानी करने की कोशिश जारी है तो हमारी यही गुज़ारिश

होगी कि जिस वक्त हम आईन की दफात पर नज़रसानी कर लें और जब हम सारे आईन का जायज़ा लें तो सबसे पहले आईन का जो बुनियादी हक है जायदाद रखने का उस पर बहुत ही गोरो-खोस करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि पिछले 25 साल में हमारी हालातों के अन्दर जितने भी झगड़े पड़े हुए हैं उन सारे झगड़ों का ताल्लुक जायदाद का हक रखने के साथ है कहीं अगर हम सड़क बनाना चाहें जो अवामी फराह व बहबूद के लिये हो तो उसमें भी रुकावट डाली जाती है। हमने देखा कि पिछले चन्द सालों में जो जमीनी इसलाहात के कवायनीन बनाये गये उन पर इस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा है जिस तरह हम चाहते हैं कि उन पर अमल दरामद हो वहां भी जो चीज मुश्कलात पैदा करती है वह जायदाद रखने का हक है। जिन लोगों के पास जमीनें हैं वे जमीनी इसलाहात के अमल दरआमद में मुश्कलात पैदा कर रहे हैं। जब हमने चाहा कि यहां के जो बड़े बड़े प्रिंसेज हैं जिनको प्रीवीपर्स मिलता था उनके प्रीवीपर्स को खत्म कर दिया जाये तो उस वक्त भी जिस चीज का सहारा इन्होंने लिया वह यही हक था ? और राईट आफ प्रापर्टी को सहारा लेकर अदालतों का दरवाजा इन्होंने खट-खटाया और यहां समाजी इन्कलाब आने में रुकावट पैदा कर दी। जनाबवाली हमने यह भी देख लिया है कि जो हमारा 20 नकाती प्रोग्राम है जिस पर इस मुल्क में पिछले चन्द महीनों से अमल दरआमद हो रहा है इसमें भी अगर कोई रुकावट है तो वही रुकावट है और कुछ लोग जिनके पास जायदाद है वे राईट आफ प्रापर्टी का सहारा ले कर अड़चन पैदा कर रहे है। इस मुल्क के लाखों गरीबों और बेरोज़गारों के लिये राईट आफ एम्प्लायमेंट का होना इतना जरूरी है कि इसके बग़ैर शायद इस मुल्क में समाजी इन्कलाब नहीं हो सकता। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह अमली चीज नहीं है। मैं इस बात से मुतफिक हूं कि अमलन शायद यह मुमकिन न हो—राईट आफ एम्प्लायमेंट—काम करने का हक अगर हम आईन में रख दें और जो हमारे लाखों बेरोज़गार हैं उनको काम मिल जाये लेकिन मैं साफ कहता हूं कि अगर हमने जायदाद रखने का हक रखा था तो इसके मानी यह हरगिज नहीं थे कि जिसके पास जायदाद न हो उसको हमें जायदाद देनी है यह एक अधिकार का सवाल है, हक रखने का सवाल है जब किसी शख्स के पास यह हक होगा कि इसको एम्प्लायमेंट का हक मौजूद है तो वे इस हक के लिये लड़ सकता है, हासिल कर सकता है लेकिन आईन में यह हक रखने के यह मानी हरगिज नहीं हो सकते कि अगर हमने यह हक लोगों को दिया तो उनको एम्प्ला-यमेंट मिलेगा ही। आप को रोज़गार का हक हासिल तो दूसरे रोज आपको रोज-गार हासिल हो जायेगा यह मानी नहीं हैं। राईट आफ प्रापर्टी के यह मानी हर-गिज नहीं हो सकते कि जिस शख्स के पास जायदाद नहीं है दूसरे रोज इसके लिये जायदाद पैदा कर ले। इसके लिए जनाबवाला—इस करारदाद का जहां तक ताल्लुक है इसमें ऐसी कोई खामी नहीं है जिसके बारे में निशान देही करूं। मेरा तो यह ख्याल है कि नत्थी सिंह जी ने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने एक ऐसी करारदाद इस मौजूदा ऐवान के सामने पेश किया है और यह वक्त की सबसे बड़ी जरुरत है कि हम आईन से राईट आफ प्रापर्टी जायदाद रखने का जो हक है उसको निकाल दें और उसके बदले में लाखों अवाम की तरजुमानी करें,

[श्री सैयद निजामुद्दीन]
लाखों अवाम के दिलों की धड़कन को महसूस करें और आईन में यह हक रख लें कि जितने लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं, जितने लोग हमारे मुल्क में हैं उनको काम करने का रोजगार हासिल करने का और अपना पेट पालने का हक हासिल होगा और यह हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वह लोगों की कमाई से लोगों की मेहनत से पैसा जमा करके अपने लिये अपने खानदान के लिये करोड़ों और अरबों रुपये की जायदाद रख लें और इसके बाद इस जायदाद से और जायदाद पैदा करे । चन्द हाथों में सारे मुल्क की दौलत सिमट कर उस पर कब्ज़ा करे । इस मुल्क में जितनी दौलत आज मौजूद है उसका फायदा यहां के लाखों गरीब अवाम को मिले । यहां के देहात में रहने वाले लोगों को मिले, उन लोगों को मिले जिन लोगों के पास जायदाद नहीं, जमीन नहीं, जिनके पास मकान नहीं दिन भर की मेहनत के बाद जिनको खाने को नहीं मिलता जिनको शाम को सर छिपाने के लिये जगह नहीं मिलती जो रात दिन महनत करते हैं लेकिन उनके तन पर कपड़ा मौजूद नहीं है । इसलिए जनाबवाला में इस करारदाद की हरूफ-ब-हरूफ ताईद करता हूं ।]

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी, चौधरी नत्थीसिंह जी ने सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के जरिये हमारे देश के अन्दर जो आर्थिक विषम-तायें हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाया । जैसा अभी निजामुद्दीन साहब ने कहा, उनके शब्दों के - फेर में तो मैं दाखिल नहीं होना चाहता क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ शब्दों की अदल-बदल करने की आवश्यकता हो देश के हालात के मुताबिक, लेकिन एक बात सही है कि हम समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं और वह ढांचा बनाने की इच्छा रखते हुए भी आज हम देखते हैं कि समाज अन्दर कितनी आर्थिक विषमतायें हैं । एक तरफ शहर है जिसमें हर एक भाई को बिजली और पानी, नलका से मिल सकता है और यही नहीं, शहर में भी कुछ भाई हैं जिनको नहीं मिलता है, जिनको मिलना चाहिए । जिनको अच्छी तनख्वाहें मिलती है, अच्छा मकान मिलता है, पीछे जब राशन का जमाना था जो चीज आज भी राशन में है उनको अधिकार है राशन मिलने का, लेकिन जो शहरों में भी पटरियों पर रहते हैं उनको राशन का अधिकार नहीं है । इसी तरह से समाज का जो सबसे गरीब अंग था, जो देहातों में खेत मजदूर थे उनको राशन का उसी तरह से हक नहीं होता, या उसी के बराबर नहीं होता जो कि शहरों में पढ़े-लिखे भाइयों को होता है । तो यह जो विषमतायें हैं उनको हमको दूर करना चाहिए । सड़कों की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है, टेलिफोन की सुविधा है, आज साइंस ने जितनी सुविधायें पैदा की हैं वह अन्य सुविधाओं का विस्तार इस देश के अन्दर एक सा नहीं हो रहा है ।

शहर के अंदर जो सड़कें बनी, जो स्कूल बनें, जो कालिज बनें वे यहां तक बन गये कि यहां के नोजवान भाई और कुछ राजनीतिक तत्व उनको तबाह करने के लिये लोगों को उकसाते रहे । क्यों कि गांव के अन्दर इतनी सुविधाएं नहीं हैं तभी तमाम तत्व चाहे वह विरोधी दल से संबंधित हो या शासक दल से संबंधित हों उन सब की यही मांग होती है कि यहां हाई स्कूल बने, कालेज बने और दूसरी सुविधाएं मिलें । कोई उनको दरहम, बरहम करने, आग लगाने के लिय नहीं कहता बसेज फूंकने की तरफ इशारा किया जाता है, रेलों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, ये सारे जो कार्यक्रम हैं इनके पीछे मैं मानता हूं कि आर्थिक विश-मता है । जैसा निजामुद्दीन जी ने कहा है वह बात सही है कि यह लिख देने से कि उनको जायदाद का हक है, किसी को जायदाद नहीं मिलता है ।

धुलप साहब ने भी एक शक जाहिर किया है । उन्होंने कहा है कि कांग्रस पार्टी ने एलान

किया था कि वह गरीबी हटाना चाहती है। मेरा कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है। जब 1971 में कांग्रेस की नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नारा दिया था कि हम देश से गरीबी हटायेंगे तो कुछ भाइयों ने नारा दिया था कि इन्दिरा गांधी को हटाओ। जो देश से गरीबी हटाने का नारा था वह खाली नारा था या इच्छा थी यह इस बात से जाहिर हो जाता है कि इस नारे को दिय हुए 5 साल हो गये और इन पांच सालों के अंदर मौका सिर्फ इन 9-10 महीनों में ही पूरा करने का मौका मिला। इन नौ-दस महीनों के अंदर, जो इस बात की टीका-टिप्पणी करते थे कि यह सिर्फ नारेबाजी थी उन्हें मालूम हो गया कि वे गलती पर हैं। उनका जो गलत अधिकार था आर्थिक ढ़ाचे को दरहम-बरहम करने का, वह अधिकार कुछ दिनों के लिये इस आपात-कालीन स्थिति में उनसे ले लिया तभी इस देश में कुछ फर्क पड़ा।

मुझे याद है कुछ सदस्य भाई यहां से चले गये डा० कूरियन भी उनमें थे। उनका ख्याल था कि 74 में शायद हम इस सदन में नहीं आ पायेंगे। मैंने उस समय कहा था कि सदन जरूर मिलेगा भले ही आप या हम न हों। उनका यह विश्वास था कि वह इस देश में ऐसे हालत पैदा कर दें जिससे यह सदन मिल ही न सके। सदन न मिल सके इसके लिये राजनीतिक जितनी भी विरोधी पार्टिया थीं शासक दल को छोड़कर, सब ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके आर्थिक ढांचे को बिगाड़ने से, दरहम-बरहम करने से गरीबी हटने वाली थी? मैं उनसे कहता हूं कि वे अपना चेहरा आइने में देखें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर वे नाराबाजी करते रहे कि जो रेल के चालक है जिनको 17 सौ रुपये तनख्वाह मिलती है इस देश में, उनकी तनख्वाह बाढ़ाई जाए, जब कि गांव में लोगों को 30 रुपये महीनें भी नहीं मिलते। वे यह नारा किस आधार पर देते रहे कि जो हवाई जहाज चलाने वाला है जिसको 5 हजार रुपयें तनख्वाह मिलती हैं वह कम मिलती हैं, जब कि इस वक्त भी 30-40 फीसदी लोगों को दोनों समय खाना नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं कि जो भाई यह कहते हैं कि कांग्रेस नारेबाजी में यकीन करती है वह गलत कहते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की नेता दिल से चाहती है कि जो नारा वह दें वह करके दिखलाएं।

जैसा अभी एक सदस्य भाई ने कहा कि इस बात का जिक्र स्वर्ण सिंह कमेटी में नहीं आया, यह आना चाहिये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शब्दों के हेर-फेर में जाने से कोई फायदा नहीं। और इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ से जो सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है उसमें यह बात रखी गई है कि जो अदालतों में रिट वगैरह पेश कर दिये जाते हैं उनका अधिकार नहीं रहना चाहिए। इसी सम्बन्ध में हम अपने संविधान में भी तबदीली करने जा रहे हैं। इस संबंध में लोक सभा ने बिल पास कर दिया है। उस विधेयक के जरिए जितने भी भूमि सुधार के कानून हैं या इसी तरह के दूसरे कानून हैं उनको अदालतों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ऐसी हालत में यह कहना कि हम कहते कुछ हैं और करते कोई दूसरी ही चीज हैं या जो बात हम कहते हैं उसके कार्यान्वियन में तेजी नहीं होती है, यह बात सही नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह बात कहे बिना भी नहीं रह सकता हूं कि जहां हम पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं वहां पर हमारा सोच एक पूंजीवादी सोच है। वह अब तक समाजवादी सोच नहीं हुआ है। इस सिलसिले में मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेशों के अन्दर जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वे अभी तक अपना ब्याज अदा नहीं कर सके हैं। आप जानते हैं कि अगर देश के अन्दर बिजली न हो तो देश को कितना

[श्री रणबीर सिंह]

नुक्सान हो सकता है । हमारे देश के अन्दर जो सिचाई के साधन है वह नही होते और उनको अगर बिजली न मिले तो देश को करोड़ों रुपयों का अनाज विदेशों से मंगाना पड़ेगा । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी योजनाएं हैं उन पर हम गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और हमारा जो पूंजीवादी सोच है उसको समाप्त करें । मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश का सोच समाजवादी ढांचा बनाने का रहा है । इसलिए जरूरत इस बात की है कि योजना आयोग का जो सोचने का तरीका है उनको बदला जाये । मैं समझता हूं कि पूंजीवादी सोच का नतीजा है कि हमारे देश के अन्दर खेती में जो चीजें पैदा होती हैं जैसे गेहूं है या दूसरी चीजें हैं उनके भाव गिरे हैं, लेकिन जिन चीजों का संबंध सरकारी विभागों से है उनके भाव बढ़े हैं । हमारे देश के अन्दर सबसे बड़ा धन्धा, खेती है और उस, खेती के अन्दर जिन इनपुट्स का उपयोग किया जाता है उनकी कीमतें बढ़ी हैं । इसके विपरीत खेती में जो चीजें पैदा होती हैं उनकी कीमतें घटी हैं । ऐसी हालत में यह कौन-सा समाज-वादी सोच है, इसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । टेक्टरों की कीमत बढ़ी है, डीजल की कीमत बढ़ी है, खाद की कीमत बढ़ी है, सिचाई के पानी की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमत बढ़ी है और इसी तरह से दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ी हैं । इन चीजों का संबंध सरकारी विभागों से है । जब हमारी यह कोशिश है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए तो क्या कारण है कि इन चीजों की कीमत बढ़ गई ? पंजाब और हरियाणा प्रदेश ने सिचाई के सिलसिले में काफी काम किया है और वहां पर डैम आदि भी बहुत बनाये गये हैं । पंजाब के अन्दर भाखड़ा डैम बना और उसके कारण आज सारे देश को फायदा हो रहा है । इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारे सोचने की विचारधारा यह होनी चाहिए कि जिससे देश को फायदा हो, गरीब जनता को फायदा हो । खेतों में पैदा होने वाली चीजें जब खरीद-फरोख्त के लिए बाजार में आती हैं तो उनके दाम उतने नहीं मिलते हैं जितने और चीजों के मिलते हैं । इसलिए हमें आर्थिक रूप से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए । मैं यह मानता हूं कि हमारे देश के अन्दर जो योजनाएं बनाई जाती हैं वे भलाई के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनसे जनता का बहुत फायदा अभी नहीं हुआ है । और दूसरी तरफ किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए—मुझे याद है, एक जमाना था जिस वक्त सूद की दर बैंक रेट था उससे भी 2 फी सदी कम सूद के ऊपर रुपया किसान को खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए दिया जाता था । ट्रैक्टर के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं थी । आज कस्टम ड्यूटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है । यह किस सोच से पैदा हो गया ? इसी तरह से खाद का सवाल है । खाद पर से एक्साइज ड्यूटी घटा दी जाए तो भी खाद की कीमत सही होती है । दुनिया के और हिस्सों में खाद सस्ता मिलता है, ऐसे देशों में जहां किसानों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है । अमरीका, जहां कि मुश-किल से 30-35 परसेंट भाई खेती करते होंगे, उनको जो सहूलियतें हैं वे आज हमारे देश के अंदर नहीं हैं । *(Time bell rings)* वह इसलिए कि हमारे यहां आर्थिक विषमताएं हैं । तो मैं मानता हूं, आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए, यह प्रस्ताव बहुत सही प्रस्ताव है लेकिन जहां तक इस बात का संबंध है कि हम सब को धंधा दे सकें यह हो सकता है; यह तभी हो सकता है जब कि हमारा सोच पूंजीवादी न रहे, हमारा सोच समाजवादी हो । आज हम डैम के ऊपर, नहरों के ऊपर कितना काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता । पैसा जितना है उसके हिसाब से काम होगा । तो पैसा ही हमारे यहां सबसे प्रथम चीज हुई । तो जिसमें पूंजी

प्रथम चीज है वह तो पूंजीवाद है। उस पूंजीवाद को छोड़ना होगा। अमरीका में भी ऐसा पूंजीवाद नहीं है। अमरीका में सिचाई के ऊपर जितना पैसा लगता है उसका ब्याज नहीं लिया जाता। रूस में तो ब्याज का खाता नहीं है। तो मुझे ताज्जुब है कि हमारे यहां के साम्यवादी सदस्य भी इस बात की फिक्र में हैं कि खेती का जो पैसा लेगा उसका ब्याज नहीं दे सकते तो प्रदेशों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। तो चाहे साम्यवादी हों चाहे समाजवादी हैं, उन सब का सोच समाजवादी हो, तभी इस देश के अंतर आर्थिक विषमताएं हटेंगी और और देश आगे बढ़ेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sardar Amjad Ali, not here. Shri Jrengbam Tampok Singh, not here. Shri Rameshwar Singh, not here. Shri S. W. Dhabe, not here. Shri Shrikant Verma.

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, दुर्योधन ने पाण्डवों से कहा कि मैं बिना लड़े एक इंच भी जमीन नहीं दूंगा।

[The Vice Chairman (Shri Ranbir Singh) in the Chair]

अगर कौरवों ने पाण्डवों को एक इंच जमीन भी दे दी होती तो शायद महाभारत नहीं होता। महाभारत के प्रथम सर्ग में धृतराष्ट्र ने संजय से चर्चा करते हुए कहा कि जब दुर्योधन अपनी जिद्द को दूसरों पर लाद रहा था, जब दुर्योधन उन्मत्त हो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और जब वह संपत्ति के लोभ में विक्षिप्त हो गया तो उस समय तुम लोग क्या कर रहे थे? मैं तो अंधा था मैं देख नहीं सकता था, लेकिन तुम लोगों की आंखें थीं, तुम देख सकते थे, तुमने क्या किया? धृतराष्ट्र का सवाल अभी अनुत्तरित है, उसका कोई जवाब आज तक नहीं मिल सका है। धृतराष्ट्र तो अंधा था लेकिन जो अंधे नहीं हैं वे क्या कर रहे हैं? जिस समय सम्पत्ति या दौलत के लिए दुनिया लड़ रही हो, जिस समय संपत्ति के नाम पर एक दूसरे का गला काटा जा रहा हो उस समय, जिनकी आंखें हैं और जो सुन सकते हैं, वे क्या कर रहे हैं? डेढ़ हजार साल पहले अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी और देखा कि कलिंग जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और जितनी जमीन थी उसमें एक चप्पा भी सूखा नहीं रह गया था; सारे का सारा रक्त में डूब चुका था। जब अशोक ने देखा कि जमीन से ज्यादा इन्सान का खून बह चुका है, जमीन जो कि अपने आप को इन्सान के रक्त में डूब जाने देती है, कुछ भी प्रतिरोध नहीं करती, तब जमीन के प्रति अशोक के मन में भी घृणा पैदा हुई और अशोक सिर झुकाए हुए, शर्म में डूबा हुआ पाटलिपुत्र को लौट आया।

नैपोलियन ने आल्पस को पार किया और यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को जीतने की कोशिश की और उसको कामयाबी भी मिली। लेकिन किस कीमत पर? यूरोप तहस नहस होकर रह गया। जिस समय फ्रांस में गरीबी थी, भुखमरी थी, उस समय लुई चौदह की सब से बड़ी आकांक्षा यह थी कि वारसाई में एक ऐसा महल कैसे बनाया जाय जिसको शताब्दियों तक देखा जाय और लुई चौदह को याद किया जाय। लुई चौदह जरूर याद रखा जाता है और आज वारसाई फ्रांस का सब से बड़ा पर्यटन केन्द्र है। लेकिन किस कीमत पर? लुई सोलह, लुई चौदह से भी आगे बढ़ गया और तब फ्रांस की जनता भूखी, नंगी और बेहाल हो चुकी थी। मारीआंतोनिये को इसकी फिकर नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि संसार का जो सब से बड़ा चौराहा है कौंकोर्ड, उसको गुलेटिन पर चढ़ाया गया। सम्पत्ति की जो भूख है, सम्पत्ति की जो लालसा है वह इंसान को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर इंसान को क्रांति और विप्लव के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसका मतलब

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

यह हुआ कि सम्पत्ति में ही कुछ गड़बड़ है और सम्पत्ति ही एक ऐसी चीज है जो इतिहास की सूरत को बदल देती है और जो इतिहास में बड़ी बड़ी दरारें पैदा कर देती हैं।

आज भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सम्पत्ति के मोह में हैं और इसके लिए शताब्दियों का इतिहास हमारे सामने हैं। 1914 से लेकर आज तक जितने भी युद्ध हुए, महा युध हुए, वे या तो जमीन के लिए या संम्पत्ति के लिए ही लड़े गये थे। चाहे हिटलर की सेना हो, जिसने आस्ट्रिया, चैकोस्लोवाकिया, पोलेंड, हंगरी और तमाम यूरोप को रोंदा। चाहे वह मुसोलिनी का अनुयायी हो या किसी और तानाशाही का अनुयायी हो। आजकल जो आधुनिक लोकतंत्र वाले देश है वे भी इसी दिशा की ओर चल रहे हैं। इन सब का उद्देश्य केवल यह है कि अधिक से अधिक सम्पत्ति जमा करना। सम्पति एक भयंकर चीज है और एक आकर्षक चीज है। सम्पत्ति इंसान को नष्ट कर देती है। सम्पत्ति इंसान को गिरा देती है। मेरे ख्याल में सम्पत्ति आखिरकार इंसान को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, छोड़नी ही पड़ेगी। केवल दार्शनिक अर्थ में नहीं बल्कि शाब्दिक अर्थ में सम्पत्ति का लोभ, सम्पत्ति का आकर्षण छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इंसान अपनी इच्छा से इस आकर्षण को छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि सम्पत्ति की जो भूख होती है वह सहज भूख होती है। इंसान अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है। वह अच्छा खाना और अच्छी तरह से रहना चाहता है। लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति है क्योंकि वह साधारण आदमी है, बहुत दिनों में इंसान नहीं बना, अभी हाल में इंसान बना है, केवल दो लाख वर्षों में इंसान बना है। मानव के इतिहास में दो लाख वर्षों की कोई गिनती नहीं होती। इंसान ने तरक्की दो लाख वर्षों में की है लेकिन सही तौर पर इंसान 4, 5, 10 हजार वर्ष में ही इंसान बना है। इसलिये उसमें सम्पत्ति की सहज भूख है और इस भूख को कानून के जरिये ही समाप्त किया जा सकता है। अभी उसको सुपरमैन बनने या बेहतर इंसान बनने में वक्त लगेगा। हो सकता है कि लाखों वर्ष लग जांय। लेकिन हम लाखों वर्ष का इंतजार नहीं कर सकते, हम देवताओं की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि देवता इस पृथ्वी पर आयेंगे और सम्पत्ति का मोह त्याग देंगे, हम इस बात की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि हर आदमी गौतम बुद्ध बनेगा, कपिलवस्तु को त्याग देगा और जीवन और मरण पर विजयी होगा। हमें अपने जीवन में ही 50-100 साल में ही कोई न कोई ऐसी क्रांति करनी है कोई ऐसा परिवर्तन करना है जिससे यह जमीन, यह पृथ्वी सब की हो आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले वेदों और उपनिषदों में एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा गया है कि यह पृथ्वी किसी की नहीं है इसलिये सब की है। अगर यह किसी एक की होती तो एक की होती और व्यक्तियों की होती। यह व्यक्तियों की नहीं है समाज की है, समूह की है सब की है। केवल वेदों में ही नहीं लिखा है बल्कि मुझको टालस्टाय की एक कहानी याद आती है कि एक इंसान जो अकूत दौलत के चक्कर में पड़ता है या जिसके मन में सब कुछ रख लेने की इच्छा पैदा होती है लेकिन आखिर में वह पाता है कि सब कुछ फिजूल था, कुछ भी नहीं था, आदमी को सिर्फ 6 गज जमीन की जरूरत होती है क्योंकि 6 गज में ही वह दफनाया जाता है। हमारा समाज, हमारी सभ्यता जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं करती कि आदमी को केवल 6 गज जमीन ही मिले, उतनी ही जमीन मिले जिसमें कि वह रह सके जिसमें वह दफनाया जा सके तब तक यह संसार आदर्श नहीं हो सकता।

हमारा अपना देश है। उसमें 25-27 साल से एक बड़ी उथल-पुथल चल रही है और पिछले 5-7 वर्षों से और भी ज्यादा उथल-पुथल बढ़ गई है। हमारी सरकार ने कई तरह

के कानून बनाये, जमीन पर सीलिंग लगाई कुछ और भी कानून बनाये जिससे सम्पत्ति के लोभ को रोका जा सके। लेकिन फिर भी, समाज का एक काफी बड़ा तबका है जिसमें सम्पत्ति की भूख कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। उनके साथ क्या सलूक किया जाय ? मैं समझता हूं कि सख्त से सख्त कानून बनाकर उनकी इस भूख को कम करना लाजिमी है लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसा मैंने कहा समाज की सहज प्रवृत्ति को पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता, उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है और उसको रोकना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा भी न हो कि आदमी में सम्पत्ति के प्रति इतना द्वेष पैदा हो जाय कि उसमें सेंस आफ बिलोंगिंग भी न रहे। जो खेती करता है वह सोचता है कि यह मेरा खेत है। मैं अपनी कलम से जब लिखता हूं तो सोचता हूं कि मेरी कलम है अगर आप मुझे कलम देंगे तो लिखूंगा मैं वही लेकिन हो सकता है कि उसमें अर्थ उतना गहरा न हो। जो खेती करता है वह अपनी जमीन पर तब ज्यादा लगन के साथ खेती करेगा जब उसे लगेगा कि यह मेरी जमीन है। इसलिये यह सेंस आफ बिलोंगिंग, लगाव की प्रवृत्ति भी मानवीय है। इसलिये इन दो अन्तरविरोधों के बीच कानून बनाये जा सकते हैं, किसी धुरी पर खड़े होकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता।

मार्क्सवाद के बहुत से सिद्धांतों के साथ मेरी सहमति है। मार्क्स का उद्देश्य बहुत अच्छा था, वह भी यही चाहते थे, जो हर महान व्यक्ति चाहता है, कि संसार में समता कायम हो। लेकिन पिछले 100 साल में हमने देखा कि इंसान को इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता, उसमें वक्त लगेगा। इसलिये आदमी के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया जा सकता।

सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है लेकिन सम्पत्ति के अधिकार को किसी समय नष्ट कर देना या उस को हटा देना, मेरे ख्याल में कुछ जल्दबाजी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि सम्पत्ति का अधिकार होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सम्पत्ति के नाम पर युद्ध हुए हैं, सम्पत्ति के नाम पर इंसानों का संहार हुआ है, लेकिन फिर भी आदमी को देखना पड़ता है। उस के संदर्भ में सोचना पड़ता है कि इंसान क्या है और उस को किस तरह से बदला जा सकता है। कानून बना कर भी क्या हम कामयाब हो सकते हैं ? या उन तमाम देशों में आदमी को बदलने में कामयाबी मिली है जहां कि कानून के जरिये सम्पत्ति के अधिकार को बिलकुल समाप्त कर दिया गया है। शायद 50 प्रतिशत मिली है और 50 प्रतिशत अभी नहीं मिली है। इस लिये यह जरूरी है कि सम्पत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया जाय, लेकिन उस को पूरी तरह नष्ट करने के लिये इस समय कानून बनाना मुझे उतावलापन लगता है। एक प्रक्रिया है। इस को हमारे जीवन काल में पूरा होना चाहिए या हमारे आगे जाने वाली पीढ़ी के जीवन काल में पूरा होना चाहिए, लेकिन इस में कुछ वक्त लगेगा। शायद दस, बीस या पचास वर्ष भी इस में लग सकते हैं।

जहां तक इस प्रस्ताव के दूसरे पक्ष का सवाल है कि रोजगार का अधिकार इंसान को मिले, इस से किसी को मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन इस पर भी देखना पड़ेगा कि कहां तक वह व्यावहारिक हो सकता है। अमरीका में 1971 में अमरीका जो कि सब से समृद्ध देशों में से एक है, वहां 1971 में चार प्रति शत से ज्यादा बेरोजगारी थी। वहां लोगों को रोजगार का अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को, लेकिन फिर भी वहां चार प्रतिशत से ज्याद बेरोजगारी थी और उस का नतीजा हुआ कि उन को अपने बहुत से प्रोग्राम्स में कटौती करनी पड़ी। वह बेरोजगारी इस

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

लिये हुई कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा दौलत दूसरे देशों को रौंदने, कुचलने में लगायी, वियतनाम का गला घोंटने में लगायी हुई थी। तो इस का असर उन की भीतरी आर्थिक स्थिति पर पड़ा और नतीजा हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी। और भी देश हैं जहां कि बेरोजगारी समाप्त करने के लिये रोजगार का बुनियादी अधिकार दिया गया है। लेकिन उस से कोई फायदा नहीं होता है, केवल कुछ पर्दा सा पड़ जाता है। आज सोचिये कि अगर हिन्दुस्तान में रोजगार का अधिकार दे दिया गया तो हमें इम्प्लायमेंट बेनिफिट देना पड़ेगा और अगर एक करोड़ व्यक्तियों को भी इम्प्लायमेंट बेनिफिट दिया गया 20 रुपये प्रति मास के हिसाब से तो दो सौ करोड़ प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा और साल में शायद हमें करीब बीस अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्या कोई भी सरकार और खास तौर से भारत सरकार जिस पर पहले ही न जाने कितना आर्थिक बोझ है इस को पूरा कर सकती है? सिद्धांत को मनवा लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। कथनी और करनी में बहुत भेद होता है। मैं नत्थी सिंह जी से अपील करूंगा कि वह ऐसी स्थिति न पैदा करें कि जिस से सरकार की कथनी और करनी में भेद हो। सिद्धांत सैकड़ों बनाये जा सकते हैं, कानून हजारों बनाये जा सकते हैं। सवाल उन पर अमल का है। मैं नहीं सोचता कि अगर आप इस को स्वीकार करा लें तो इस पर भारत की कोई भी सरकार अगले 50 साल तक अमल कर सकेगी क्योंकि ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आयेगी कि इस पर अमल किया जा सके। भारत की अर्थ व्यवस्था कमजोर है इस को हमें स्वीकार करना चाहिए और वह अगले 50 साल तक समर्थता के उस शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकती जहां कि बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त हो जाय। इस लिये मेरे ख्याल में इस प्रस्ताव के दूसरे पक्ष से मेरी असहमति है और मुझे विश्वास है कि प्रस्तावक महोदय इन स्थितियों को देखते हुए अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। सिद्धांत रूप में मैं उन का समर्थन करता हूं, लेकिन व्यवहारतः मुझे लगता है कि दोनों ही बातें असंभव हैं। कम से कम दूसरी बात तो असंभव है क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। वह किसी दूसरी चीज से जुड़ी होती है। अंतराष्ट्रीय घटनायें क्या हैं, बाहर पेट्रोलियम के भाव क्या है, बाहर सोने के भाव क्या हैं, कपास किस तरह से मिल रही है, इस सब पर भीतर की स्थिति निर्भर करती है। कभी किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा इस पर देश की रक्षा का बजट बनता है और इस पर देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है और आर्थिक स्थिति जैसी रहेगी उस के अनसार रोजगार की संभावनायें पैदा होती हैं। तो कोई हवाई प्लैटोनिक प्रिंसिपल एडाप्ट करने के बजाय अच्छा हो कि हम जमीन पर चलें और स्थिति का सामना करें। इस लिये मैं इस प्रस्ताव का सिद्धांत रूप से समर्थन करते हुए भी अपील करता हूं कि वह इसको वापस ले लें।

4 P.M.

SHRl SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I feel like supporting this Resolution from the core of my heart, because it speaks of three cardinal principles of planning in our country.

The first question that this Resolution poses before us is that we must consider to remove social and economic inequalities. I think almost all ihe Members who have participated in the discussion have supported this proposition. The next question is to create maximum employment opportunities in this country. To this almost all the Members have agreed.

Now, the most controversial question comes whether we should try to delete the right to property in the list of Fundamental Rights and include therein the right to employment. This is the most fundamental question.

Before going into this question, I would like to analyse theTiistorical importance of

this Resolution which is before us. The basic thing is that if we want to develop economically, it is through socialism we can achive the goal. There is no go for us but to accept'this basic principle. India is fie largest democracy in the world and India has accepted the concept of a Welfare State as the basic goal of our country. And for achieving this aim, we have accepted Uic path of socialism. That has been told by Pt. Nehru from the beginning.

Now, the question comes : If we have accepted that planning is the|path by which we can achieve a economic and social development of our country, then how can we give the maximum benefit to the weaker sections of the people and the poor sections of the people who remain in villages.,'who constitute 70 per cent of the population of our country? This right to property is also not there in the Constitutions of some countries .as pointed out by my friend. Even the deletion of the right to property from the list of Fundamental Rights it should not create a feeling in our people or in the heart of some people that there should be no property belonging to any person. In U.K. there is no such Fundamental Right. But they say, this right to property, as envisaged in our Constitution, can depend upon the general laws which are framed by the Legis- { latures. Sir, we know that there are laws 1 like the Transfer of Property Act, the Civil Procedure Code, etc., which will state as to what will be the relation between property and the individual.

Now, before going into these points Sir, I may state that this is a very fundamental truth that in a growing economy the proper relation between employment and the population is a must if we want to have a self-generating economy. On the reverse, if there is less employment, it is a sign of apparent weakness in the economic development of a country. If we analyse the recent past, in 1947 not only we were independent but our neighbouring countries were also independent. But, Sir, according to the recent thinking, we cannot achive'economic progress until there is mass motivation there is social motivation and mass participation in the economic activities of the nation by the people .'By getting foreign aid many of the neighbouring countries have tried to develop their economy. But they had no social motivation. For this then countries have suffered. Social motivation comes only by having a desire and by making de termined efforts and only then you can hav economic progress in the proper prospective. Without this, by only minting money we cannot have the desired economic progress. By passing some legislations also we cannot have economic progress. So to have the greatest motivation forces, it is necessary that every citizen must have an opportunity to work according to his ability, so he can earn to live. That is the basic, fundamental thing.

Sir, I am reminded of a story here. One of the foreigners was moving in some rural part of India, and he saw on a hot summer day a man who was sleeping under a banyan tree with a net below his head. He asked him : Why do you sleep with the net under your head, and why don't you go for catching fish ? He said : "I have got one fish. I have sold it in the market. Now I am taking rest." The foreigner said : "You could have multiplied your earnings". He said, "What is the ultimate result ?" The foreigner said, "By that process you could have got more prosperity and income." He said, "I am enjoying peace. I do not know what can bring more prosperity." Our younger generations and the people who will participate in the development of the nation must be motivated to have a dynamic approach to the socio-economic problems. Until and unless there is a powerful social motive behind our activities, we cannot achieve the involvement of the people.Corning to the negative side, unemployment means loss of income of the person who is unemployed. It means national wastage on the other hand. We go to the socialist countries which are far away. On the other side of the Himalaya,China is there. Have we not heard of thecultural revolution ? Social motivation hasbeen created by cultural revolution by which they have achieved tremendous progress in production of certain items like food and certain industrial commodity. Is it not the time for perspective plannng? Our boys and girls are studying in schools and colleges. Their fathers are spending a lot of money. The families are economically ruined. When

[Shri Santosh Kumar Sahu] they complete their studies, they are uncm ployed. Such is the condition in our country. Crores of people are unemployed. There are many people who are not taking part in any modern development. Their education is not related to prospective planing. For example, If we have no need for Civil Engineers in a particular why should we teach our boys engineering instead of electronics engineer which wc require. The cost is so high. The society spends roughly Rs. 50,000/- for producing an engineer. Ultimately, when he comes out, he finds that there is no job for him. ls it not the right time that we must give opportunities to everybody ? It means more of investment. We may not be having so much of capital. There comes the question that we must abolish the right to property. If we have no jobs for engineers, what is the work we can give them ? I am giving an example from China. So many were unemployed. The Government asked them to go to the villages to clean them. People were laughing. What is this cultural revolution ? But they went to clean the villages. After one year, they saw that the hygienic conditions in the villages had improved and there was no necessity of spending so much money on medical services. Therefore, our planning has to undergo several changes. We have to lay stress on the development of country. I can quote many examples from the economic condition of underdeveloped countries. It is not a secret of the world history today. The economic growth needs the dynamic social thinking and clear guidance. If we analyse the history of India and the process of economic development of India, we see that we had reached a point of zero growth about two years ago. It was before our Prime Minister Indira Gandhi had declared- the national emergency and the Twenty-Point Programme. Is it not related to our planning? It was because of the political situation and the lack of confidence of the weaker sections of the people to have greater productivity. The Twenty-Point Economic Programme has ushered in a new era of revolution and hope. At least, the weaker sections of tbe society, tlie rural poor of India and other people can think in terms of surviving. The stress is given on implementation of the agrarian reforms. The landless wiH be getting land. He has scope for getting'more credit. The weakers can develop their handloom indus, try. This is only beginning. These people who live in the villages, who constitute seventy per cent of the population of India and who come from the poor strata of society, must also have a share in the national wealth. They must join in the process of national growth and production. So I want to just humbly submit before the House that whal Mr. Nathi Singh said, that is employment and specially employment for the young, intelligent, edu cated persons, is important. The educa tional institutions are increasing where we are preparing these people. If they become frustrated,- they spread the frustration to the villages, and no country can survive such a situation. I think we should programme our education job-oriented. And then comes the planning stage. We must have a pers pective planning. We must prepare the person to be harnessed for the greater cause of the nation. So, there is a basic relationship bet ween planning and employment. If we neg lect this today, it will result in great disaster tomorrow. So , we may not accept the other provision where the Right to Property will be delinked and this Right to Employment will be put in because, the Right to Property now has a limited meaning. if we see our history in the legal courts, we find that when ever a progressive measure has come up whether it is for the nationalisation of bariks, whether it is for the abolition of privy purses, or . whether we want agrarian reforms to have a ceiling on the Iand holding, sinceindependence always the provision of Right to property has come in the way. And in the process the main issue has just delayed in the process, the implementation of the economic programme in the rural India has suffered. So, if we have to learn from the modern history of India, from the modern history of development of the under-developed countries we should come out in a new way, we should think of a new dynamism and come before the younger generation of our country. I think it is very important. And whether this particular word is correct or not is not important. What I essentially feel is that Mr. Nathi Singh's Resolution contains the very basic minimum truth for the development ar.d growth of our economy. And it must not

be just discussed like a Resolution. I appeal to the hon. Minister that he should consider it very seriously. In planning, in order tc save the future of our country, this thing musi be incorporated. We should look al our neighbouring countries and though we may have political differences, we must see the economic development of those countries and we must draw our example. And we must have the boldness to do something which will be remembered in future. Sir, actually ! feel that T should quote Pandit Jawaharlal Nehru. What he said so many years before is also true today. He said :

"Today, as before, we see a society in which there are tremendous differences between man and man, great richness on one hand and great poverty on the other. Some people live in great luxury without doing any work and some work from k dawn to midnight yet they have not the barest minimum. Political democracy by itself is not enough except that it may be used to obtain gradually increasing measures of economic democracy.".

So, if we want that more facilities to be given to the weaker sections, we have to think out and plan in such a manner that all the people will be benefited by such a scheme. This right to employment does not mean that everybody will be getting "Government service.' It means that they will have an opportunity to gain something economically by working hard for it. So, Sir, basically, if we want to do social justice, if we want economic democracy, and to practise these things, it is neces, sary that the minimum price for a man's existence, that is work to earn his bread, must be guaranteed. This is the minimum thing which every country, every people must feel should be guaranteed to citizen of the country. Without these things how can you hope that these poor men who live in our rural areas and agriculturists can better their condition especially when there are no irri-gation facilities ? He has work'only for^three months and he remains idle for eight or nine months. The staggering poverty in which he lives is a shameful affair today. Without giving much emphasis on changing' their lives, whatever we may say, economic democracy will never be possible and social I justice will never be achieved until you have I a revolution and that revolution may be very painful for some who are only in a micro-scopic minority, who think of right to pro-j perty, who have got that property and who j are conscious that these things wiH create a I lot of problems for them as common people want more social security i.e. job for him j and jobs for his Children in future. But, if you want to give some benefits to the weaker sections, to the 70 per cent of the population it is a must that we take some steps because growth means change in the social order. The persons who are getting the type of prestige in the traditional society will not get that in a progressive society and if we want the growth of our economy it is a must that we give emphasis to the best utilisation of the manpower which is the greatest asset of the country. Thank you.

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री नत्थी सिंह जी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है जो सराहनीय है। इसके अंतर्गत उन्होंने 2 मांगें की हैं; एक तो यह कि आर्थिक नीतियों को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं समाप्त हो जाएं और देश में लोगों को अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और दूसरी बात यह कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर रोज-गार के अधिकार को सम्मिलित किया जाए।

इस प्रस्ताव की मैं इसलिए सराहना करता हूं कि उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी संविधान में संशोधन इस प्रकार करें, सम्पत्ति के अधिकार को हटाएं और रोजगार के अधिकार को दिलाएं। और भी माननीय सदस्यों ने इस पर काफी विचार प्रगट किए हैं। मैं उनकी भी सराहना करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं और जब कभी सरकार को आवश्यकता

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

प्रतीत होगी उन सब सुझावों का जरूर उपयोग किया जाएगा ।

जहां तक सम्पत्ति के अधिकार को हटाने की बात है, अगर हमारे संविधान में देखा जाए तो उसका उसमें समावेश है । किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति को खरीदने, रखने और बेचने पर असीमित अधिकार नहीं है, उसके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं और संविधान के खण्ड 4 में जहां पर कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, उसके अंतर्गत सामाजिक एवम् आर्थिक न्याय देने के लिए अगर कोई भी रास्ते में रोड़ा बनता है तो उसको समाप्त करने की व्यवस्था है । इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान की धारा 19 (5), 31, 31(ए) 31(बी) और 31 (सी) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । इनमें पूर्णत: सरकार को अधिकार दिया गया है कि जहां कहीं पर भी कोई अड़चन आती हो तो वह अड़चन वहां से समाप्त की जाएगी जिससे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय पूर्णतया दे सकें ।

इसके साथ में आप यह भी देखेंगे कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की है । सम्पत्ति के अधिकार पर उचित नियंत्रण करते हुए, संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं, उनके अंतर्गत सरकार ने बहुत से प्रगतिशील कदम उठाए हैं ।

आपने देखा कि हमने जमींदारी प्रथा का अन्त किया ताकि छोटे-छोटे किसानों के साथ, गरीब लोगों के साथ न्याय हो सके । पहले हमारे देश में जमींदार गरीब किसानों का शोषण करते थे । गरीब किसानों तथा मजदूरों को उनकी मेहनत की मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी और यही कारण हुआ कि हमें जमींदारी प्रथा का अन्त करना । पड़ा क्योंकि सरकार जानती थी कि जब जमींदारी खत्म होगी तो वे लोग यह प्रश्न उठायेंगे कि जो उनका भुगतान है वह उनको समुचित रूप से दिया जाय इसलिये इसको भी सरकार ने देखा और 31 (2) के अन्तर्गत मुआवजे के मामले को न्यायालयों की परिधि से बाहर कर दिया गया क्योंकि वे लोग स्टे आर्डर लेकर आते थे और इससे जमींदारी उन्मूलन में बाधा होती थी । इसके साथ ही साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । यह चीज भी बहुत जरूरी थी क्योंकि गरीब लोग अपना धन बैंकों में लगाते थे और कुछ इनेगिने लोग या परिवार इन बैंकों पर छाये हुए थे । इन बैंकों को अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करते थे और उनका पैसा अपने उद्योगों में लगाते थे । इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी सम्पत्ति बढ़ा ली थी और बढ़ाते ही जा रहे थे । इस चीज की तरफ भी सरकार का ध्यान गया ताकि जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें न्याय मिल सके, उनको बैंकों से हर तरह की सहायता तथा पैसा मिल सके ताकि वे भी अपना काम चला सकें । इस तरह से हमने गरीब लोगों के फायदे के लिए बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया, ।

इसके साथ ही साथ राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स को भी समाप्त कर दिया । उस समय यह समझा जाता था कि इस तरह का कार्य करने पर बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी, लेकिन यह कार्य भी सरकार ने अच्छी तरह से किया । इसके अलावा जो गरीब लोग गांवों में रहते हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनके ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था । सरकार ने उन कर्जों को समाप्त कर दिया और इस तरह के जितने भी मामले थे वे न्यायालयों की परिधि से बाहर कर दिये । अगर कोई भी साहूकार कोर्ट में जायेगा, अपनी याचिका दायर करेगा, तो नये कानून के द्वारा वह इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सकेगा । गरीब लोग अपना कर्जा जो उनके ऊपर है वह अदा न कर सकें, इसके लिए भी हमने कानून बना दिया है ।

इसके अलावा मिनिमम वेज के बारे में भी कानून बनाया है । हर जगह पर मिनिमम

वेज लागू कर दिया गया है । इस कानून पर सभी प्रान्तीय सरकारों ने अमल करना शुरू कर दिया है । हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त ने कहा कि कहीं पर मिनिमम वेज लागू नहीं किया गया है । मुझे मालूम नहीं है कि कहां से उनके पास इस तरह की सूचना आई है । श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में हमने मिनिमम वेज के बारे में विचार किया था और सब लोगों ने इस बारे में निश्चय कर लिया था कि अगर कहीं से भी इस तरह की सूचना मिल रही हो कि मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है तो वहां उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

SHRI KR1SHNARAO NARAYAN DHULAP: There is no machinery to implement whatever decision is taken by the Government.

श्री बाल गोबिन्द वर्मा : राज्य सरकारों की परिधि में आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कहीं भी ऐसी बात मालूम हो कि मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है तो उनसे सम्पर्क स्थापित करें । अगर आप उन्हें नहीं लिख सकते हैं तो हमें लिख कर भेजें कि यहां पर मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है । जब हमें इस तरह की सूचना मिलेगी तो हम देखेंगे कि वहां पर उन लोगों को मिनिमम वेज क्यों नहीं दिया जा रहा है ।

1971 में हमने संविधान में पच्चीसवां संशोधन किया था । उसके अन्तर्गत सम्पति का अनिवार्य नियोजन एंव अधिग्रहण पर्याप्त मुआवजा की व्यवस्था सम्बन्धी कानूनों से बाहर कर दिया गया है । हम पब्लिक इंटरेस्ट पर किसी की जमीन को एक्वायर कर सकते हैं और इस चीज को न्यायालयों की परिधि से बाहर कर दिया गया है ताकि न्यायालयों में जाकर कोई अड़चन न डाल सके ।

इसके साथ ही साथ संविधान में धारा 31 सी का समावेश किया है जिसके अन्तर्गत धारा 39बी और 39सी निरस्त न हो सके क्योंकि हम सामाजिक न्याय करना चाहते हैं और कोई भी कानून उसके रास्ते में रोड़ा न बन सके । अकसर यह सवाल उठाया जाता है कि यह 39बी, 39सी जो कि धारा 14 (कानून के सामने समानता), धारा 19 (भाषण की स्वतंत्रता), धारा 31 (अनिवार्य रूप से जन हित में सम्पत्ति का अधिग्रहण) के विपरीत हो, निरस्त न हो सके यानी किसी कानून का असर धारा 39बी और 39सी पर न हो सके, उसके लिए भी हमने कदम उठाये हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के रास्ते में सामाजिक और आर्थिक प्रगतिशील कदम उठाने में कोई कठिनाई नहीं है और उसका हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं ।

अभी हमारे श्री धुलप जी ने एक बात कही । उन्होंने कहा कि हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए मिकस्ड इकोनामी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिये ।

They cannot co-exist.

विचार तो अच्छा है, इसमें कोई दो राये नहीं हैं और हम लोग भी चाहते हैं । लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर आप कितना बोझ डालेंगे ? अभी ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र नहीं आया है कि मामूली-मामूली बातों के ऊपर भी वह ध्यान दे सके । बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिये हम करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर भेजते हैं । पहले हम सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाय और जो बड़े-बड़े साधन हैं उनकी व्यवस्था कर सकें । इसलिये जरूरी है कि हम बड़ी चीजों के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को रखें । छोटी चीजों के लिये जैसे ट्रांसपोर्ट है, हाउसिंग है, ट्रेड है, कामर्स है प्रायवेट सेक्टर रहे क्योंकि वह इन चीजों में अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर सकता है । हमारे यहां की अर्थ-व्यवस्था को ऊंचा कर सकता है । इसलिये जरूरी है कि फिलहाल हम मिली-जुली आर्थिक व्यवस्था को रखें ।

सरकार यह देखने का प्रयत्न कर रही है कि कुछ हाथों में धन केंद्रित न होने पाये । इसके लिय हमारे पास काफी उपाय हैं । लाइसेंस

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

नीति को हम तय करते हैं कि किस प्रकार से लाइसेंस दें और किसको दें । शहरी सम्पत्ति और कृषि भूमि की सीमा हमने निर्धारित की । इसी प्रकार से हम धनवान लोगों पर अधिक कर लगाते हैं जिससे कि हम सामाजिक न्याय कर सकें । निजी क्षेत्र को बिल्कुल समाप्त करना उचित नहीं है । यह जरूर है कि ऐसी व्यवस्था हम करें जिससे निजी क्षेत्र पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और कानून के अन्तर्गत अपना दायित्व निभा सके ।

सम्पत्ति के अधिकार को हम समाप्त कर दें, यह बड़ी अच्छी बात है आज नहीं तो कल हमको इस पर सोचना पड़ेगा । लेकिन आज हमको यह देखना है कि क्या आज हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि नहीं कि इस पर विचार किया जा सके । अगर हम संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दें तो हमारी बचत योजनाओं पर असर पड़ेगा, पूंजी निवेश पर भी असर पड़ेगा, उत्पादन और आर्थिक कार्यकलापों पर भी असर पड़गा । इसलिये यह देखना पड़ेगा कि देश की ऐसी परिस्थितियों में क्या यह उचित होगा कि हम सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करें ? कृषिउद्योग, आवास, यातायात आदि के नियोजित विकास में द्रुतगति से वृद्धि हो और सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा न पड़े इसके लिये जरूरी हो जाता है कि हम इसके ऊपर ज्यादा जोर न डालें ।

सार्वजनिक क्षेत्र पर यह बोझ डालना अभी उचित नहीं होगा । अगर हम यह बोझ डालते हैं तो बड़ी-बड़ी बातों को करने में जिनके बारे में हम सोच रहे हैं बाधा पड़ जायगी जिस बात के लिये हम कल्पना करके बैठे हुए हैं जो बात हम करना चाहते हैं देश के अन्दर उसको अच्छे प्रकार से कर नहीं पायेंगे ।

एक बात यह भी है कि जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो किसी आधार के ऊपर करते हैं । इस वक्त चारों तरफ से जोर दिया जा रहा है कि बहुत अधिक संशोधन हम संविधान में करें । लोगों के अन्दर आशंकायें हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं । इसलिये प्रधानमंत्री ने आशंकाओं को खत्म करने के लिये कहा कि हम उस वक्त तक कोई संशोधन नहीं करेंगे जब तक कि हमें जनमत का पूरी तरह से पता न हो जाय । जब जनमत को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी हम इसके सम्बन्ध में कदम उठायेंगे ।

SHRl KRISHNARAO NARAYAN I DHULAP : What is way to judge? In ; 1971 itself, people voted massively for i the Congress Party.

श्री बाल गोविन्द वर्मा : वह ठीक है । हम ने उनके सामने कुछ उद्देश्य रखे थे और उन पर उन्होंने हमारा साथ दिया है । यह बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि संविधान का संशोधन होने जा रहा है । इस लिये जो इंटेलिजेंशिया हमारे देश में है उसके विचारों को हम जानेंगे । जो वकील हैं या दूसरे लोग ह उन के द्वारा पता चलायेंगे । यह वांछनीय नहीं है कि अपने देश का जनमत जाने बिना ही हम संविधान का संशोधन कर डालें । वह दिन जल्दी ही आने वाला है कि हम उस में संशोधन करेंगे और हमारा विश्वास है कि आप भी उस को सपोर्ट करेंगे ।

दूसरी बात, यह भी कहा जाता है कि राइट टु प्रापर्टी को समाप्त कर दें तो हमारे यहां बहुत ज्यादा प्रगति हो जायेगी । यह मेरी समझ में नहीं आता कि सम्पत्ति का अधिकार समाप्त करने से ही यह अन्तर कैसे पड़ जायेगा । जो बेरोजगारी है वह कैसे खत्म हो जायेगी । यह कोई जादू का डंडा नही है कि हम हिला देंगे तो वह खत्म हो जायगी

श्री कल्प नाथ राय : आपने यह ऐसी बात कही कि जो ठीक नहीं लगती ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह ठीक है कि एक दिन आपको सम्पत्ति का अधिकार खत्म करना होगा, लेकिन अभी वह परि-स्थितियां नहीं हैं कि हम एक दम से ऐसा कर दें। ऐसा कर के हम सारी बेरोजगारी को समाप्त कर सकेंगे ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी बातें करें कि जिस से हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो और यह बेरोजगारी जो आप खत्म करना चाहते हैं वह तो हम करेंगे ही, यह कांग्रेस का लक्ष्य है। आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो कदम हम ने उठाये हैं उन में हमें काफी सफलता मिली है। राजकीय नीति निर्देशन सिद्धान्तों के अन्तर्गत कार्य पाने की प्राथमिकता उन को है। लेकिन राइट टु इम्प्लायमेंट तो बहुत बड़ा शब्द है। यह दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो हम उन को नौकरी देंगे और अगर नौकरी न दें तो उनके लिये हम कोई साधन जुटायेंगे कि जिससे वह अपना कोई रोजगार कर सकें। इस में कितने पैसे की जरूरत होगी यह बात किसी से छिपी नहीं है। हमारी अर्थ-व्यवस्था ठीक हुई है, हमने प्रगति की है और उसके साथ ही हम ने काफी कार्यों को बढ़ा दिया है जिसके अन्तर्गत हम लोगों को रोजगार देने में सफल हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है और इसके बावजूद भी हम शहरों में और गांवों में रोजगार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे सामने एक परेशानी है। आप देखें कि पिछले दशक में या उससे कुछ पहले 1961 से लेकर 1975 तक हमारी जन संख्या कितनी बढ़ी है। जो भी हम आर्थिक प्रगति करते हैं उसको जनसंख्या की बढ़ोत्तरी खत्म कर देती है। इसलिये मैं आप से अपेक्षा करता हूं कि आप हमें सहयोग देंगे और इस पर जो जोर दिया जा रहा है कि जनसंख्या न बढ़ने पाये उसमें आप अपना पूरा सहयोग देंगे। साथ-साथ जो हमारी शिक्षा पद्धति है, सभी ने उसके बारे में कहा है कि वह हमारी भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। लोग आमतौर से से पढ़ने के बाद चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाये। वह कोई और काम नहीं कर सकते। इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है अभी तक हमें यह पता नहीं चल पाया, आप कहेंगे कि यह कैसी बात है कि आप को पता कैसे नहीं चल पाया, लेकिन हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद हम को आंकड़े नहीं प्राप्त हो पाये है कि अभी तक हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेरोज-गार हैं।

श्री कल्प नाथ राय : देश में चार करोड़ बेकार हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इतने हैं।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : म बता रहा हूं। सरकार ने एक दांतेवाला कमेटी बनायी थी और उसको यह कहा था कि हमको ऐसे सुझाव दीजिए कि हम अच्छी तरह से जान सकें कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं। उन सिद्धांतों को बताइये कि जिनके आधार पर यह जानकारी, यह स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किये जा सकें। उन्होंने अध्ययन किया और हमें बताया कि जो भी सिद्धान्त अपनाये गये हैं वह डिफेक्टिव रहे हैं और इस प्रकार से हमें सच्चे आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया और उन सुझावों पर हमने अमल किया। हम उस पर भी विशेष आगे नहीं निकल सके। उसके बाद सरकार ने 1970 में एक भगवती कमेटी बैठाई भगवती कमेटी ने हमें यह बताया कि कुल

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]
बेरोजगार 1 करोड़ 80 लाख 70 हजार के करीब हैं। उन्होंने 1973 में ये आंकड़े पेश किये। इनमें से बिल्कुल बेकार 90 लाख हैं जिनको 14 घंटें या 14 घंटे से कम काम मिलता है, जो कि करीब-करीब बेरोजगार के समान हैं। उनमें से गावों में 1 करोड़ 60 लाख 10 हजार लोग रहते हैं जिनमें से पुरुष 70 लाख 60 हजार और महिलायें 80 लाख 50 हजार हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि शहरों में 20 लाख 60 हजार लोग बेरोजगार हैं जिनमें से पुरुष 10 लाख 60 हजार और महिलायें 10 लाख हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ये आंकड़े कच्चे हैं, विश्वसनीय नहीं हैं। इस प्रकार से आप बताइये कि कैसे हम इन आंकड़ों से इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि कितने लोगों की बेरोजगारी हमारे सामने है?

SHRI KR1SHNARAO NARAYAN DHULAP : You can get statistics from Gram Panchayatas. You can write to them and get the number of unemployed persons.

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमारे पास एक लेबर ब्यूरो है शिमला में। वह हर गांव में जाकर तो नहीं कर सकते, लेकिन वह काफी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़ें सरकारों से प्राप्त करें। इसके अलावा एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है। उन्होंने हमें बताया कि 24 करोड़ श्रमिक हैं जिनमें से 30 प्रतिशत के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कोई उचित आंकड़े नहीं मिल पाते। हमारे पास जो रोजगार कार्यालय हैं वह 504 हैं। उनमें हमारे पास 31 दिसम्बर, 1975 तक के आंकड़ें हैं, हर 6 महीने के बाद हम शिक्षित, अशिक्षित आदि पंजीकृत प्रार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े इक्कट्ठा करते हैं, जून में फिर दूसरे आंकड़े हमें मिलेंगे, उन रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के हिसाब से उस समय तक 93 लाख 26 हजार लोग बेकार हैं जो लाइव रजिस्टर में हैं। उनमें से भी डी० जी० ई० टी० ने जो सर्वेक्षण कराया कि लाइव रजिस्टर में जो आंकड़े हैं उनमें कहां तक सत्यता है, उनमें से आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि रोजगार चाहने वाले बेरोजगार 65.7 प्रतिशत हैं और काम पर लगे हुए लोग 27 प्रतिशत हैं। वह काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपना नाम दर्ज कराये हुए हैं कि इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो पिछली नौकरी छोड़ देंगे। इसी प्रकार से छात्र 7.3 प्रतिशत हैं जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराये हुए हैं कि यदि अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो पढ़ना छोड़ देंगे, वरना पढ़ते रहेंगे। तो 65.7 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं जिनके नाम दर्ज हैं रोजगार कार्यालयों में। इनमें से शिक्षित बेरोजगार अथवा रोजगार चाहने वाले लोग 47.84 लाख हैं। भगवती कमेटी जो अपाइंट की गई थी उसने कुछ सुझाव हमें दिये हैं। अपनी रिपोर्ट उन्होंने 1973 में दी थी और देश के विकास को ध्यान में रखकर रिपोर्ट में रोजगार दिलाने सम्बन्धी सुझाव भी उन्होंने पेश किये थे।

योजना आयोग द्वारा अन्तर मंत्रालय कार्य-दल की रिपोर्ट के अध्ययन के लिये गठन हुआ। कमेटी ने 221 सुझाव दिये। उनमें से 198 पर निर्णय ले लिया गया है। शेष सुझाव विचाराधीन है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कार्यान्वित करें।

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP: The Bhagwati Committee recommended that the Employment Guarantee Scheme which is in operation in Maharashtra at present should also be taken into consideration and that it should be applied to the whole country. I would like to know whether that was the recommendation or not.

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जब हम यह बात करते हैं, शोर करते हैं कि हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाये तब हम भूल जाते हैं अपने देश की समस्याओं के बारे में । हमारे देश में बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं आपको यह देखना चाहिये कि सड़कें तब क्या थी और अब क्या हैं, रेलें तब क्या थी और अब क्या हैं, यातायात के साधन तब क्या थे और अब क्या हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हमने तब क्या किया था और अब क्या किया है । हमें सब आंकड़ों को देखना चाहिये । हम केवल एक ही तरफ देखते हैं दूसरी तरफ नहीं देखते हैं । जब हमें रोजगार देना है तो हमें उद्योग चलाने होंगे, सड़कें बनानी होंगी और साथ ही और साधन जुटाने पड़ेंगे । इन चीजों की तरफ हम कतई ध्यान नहीं देते ।

पिछले 25 सालों में देश में कितनी विपत्तियां आई हैं । हमें इनको देखना चाहिये । पाकिस्तान से हमें तीन बार लड़ाई लड़नी पड़ी, बंगला देश की समस्या आपके सामने रही । यहां पर करीब एक करोड़ आदमी आए । उनको खाना देना, उनको बसाना और फिर वापस भेजना यह सब इसलिये करना पड़ा चूंकि हमारे सहयोग से यह बना था । उसकी सहायता के लिये इतने पैसे खर्च हुए कि उसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं । उस तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

इसके साथ ही हमारे देश में जो मुद्रा-स्फीति हुई उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा । यद्यपि सरकार ने जो कदम उठाये हैं उसकी आप सरहाना करेंगे । मुद्रा-स्फीति हमने खत्म की है । हमारे देश में बचत की कमी थी, पूंजी निवेश पर नियंत्रण था, उत्पादन और निर्यात में कमी हो गई थी, शिक्षित बेरोजगारों में वृद्धि हो गई थी, ये सब बातें हमारे सामने थी इतना बड़ा काम करने के बाद ही आज हम इतने बड़े स्थान पर पहुंचे हैं, इतना बड़ा काम करने के बाद ही आज हमने इतनी प्रगति की है और इसकी आपको सराहना करनी पड़ेगी ।

जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हुई उनमें हमारा लक्ष्य यह जरूर रहा कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करने के साधन जुटाएं । चौथी योजना में हमने विशेष तौर से प्रयत्न किये साधनों को शहरों और गांवों में बढ़ाने का प्रयत्न किया । चौथी योजना में रोजगार बढ़ाने पर पूरा जोर दिया गया । इस अवधि में लघु एवं सीमान्त किसान विकास एजेंन्सी, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजनायें, प्रायोगिक ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छा असर पड़ा । उनको बड़ा लाभ हुआ ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आप जानते हैं हमने इन्हीं योजनाओं के ऊपर काफी जोर दिया है ? चौथी पंच वर्षीय योजना में जो स्कीमें हमने चलाई थीं और वे उस पंचवर्षीय योजना में पूर्ण नहीं हो पाई थीं वे अब भी जारी हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारी के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1971-72 में योजना चलाई थी जिससे उनको सैल्फ एम्प्लाएमेंट मिले । राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिये विशेष रोजगार कार्य-क्रम 1972-73 में चलाया गया था; 5 लाख लोगों के लिये 1973-74 में भी रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था । खुद रोजगार, सैल्फ एम्प्लाएमेंट जुटाने पर जोर दिया गया जिससे उद्यमशीलता का विकास हो ।

[श्री बाल गोबिन्द वर्मा]

गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिये, जैसा मैंने बताया कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रिडिस्ट्रिब्यूटिव ग्रोथ का हमारा लक्ष्य है। उत्पादन का समान वितरण हो इसके लिये भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है आय का पुर्नविभाजन किया जाये, बेरोजगारी और अर्धरोजगारी में जो भी परेशानियां हैं उनको हल किया जाए। और यह व्यवस्था की जा रही है कि एक उचित आय के स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जुटाये जा सकें और अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था करने के लिए श्रमिक प्रधान योजनाएं जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के अनुकूल हों, उनको चलाया जाये। रोजगार दिलाने वाली योजनाओं के अनुभव का लाभ उठाकर पंचवर्षीय योजना में हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं और रोजगार दिलाना योजना का विशेष अंग मान करके हम आगे बढ़ रहे हैं।

आप जानते हैं कि हमारे देश में इमरजेन्सी से पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और मुद्रा-स्फीति के कारण इस प्रकार का वातावरण पैदा हो गया था कि कोई आदमी अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रहा था। हर तरफ हड़तालें, घेराव और तालाबंदी चल रही थी। लेकिन आपातकाल की घोषणा के बाद जो कदम उठाये गये हैं वे सब आपके सामने हैं। हमने मुद्रा-स्फीति को रोक दिया है। नया आर्थिक कार्यक्रम जो 20-सूत्री कार्यक्रम के नाम से विख्यात है उससे देश भर में विकास और आर्थिक वृद्धि में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। हमारा यह उद्देश्य है कि आर्थिक प्रगति से समाज में समान वितरण हो और विकास के लाभ जनता को मिलें। हमारा मुख्य उद्देश्य गरीबों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति करना है और उनको न्याय दिलाना है। इसके लिए हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की सुविधाएं जो हमारे नवजवान हैं, जिनके पास नौकरी का कोई साधन नहीं है, उनको दी जा रही है। एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की योजना द्वारा शिक्षित युवकों को विशेष रूप से कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है। इमरजेन्सी से पहले लगभग 69 हजार जगहों को भरा जा सका था, लेकिन अब 1 लाख 32 हजार जगहों को भरा जा सका है। एप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 15 नये उद्योगों को लाया गया है और इस प्रकार कुल उद्योगों की संख्या 216 हो गई है जिनमें एप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस क्षेत्र में 43 नये व्यवसायों को भी शामिल किया गया है जिससे कुल व्यवसायों की संख्या 103 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के युवकों के लिए कृषि मैकेनिक, खेत संगठन और प्रबन्ध, बागवानी, ट्रेक्टर मैकेनिक संबंधी व्यवसायों को अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त स्नातक इंजीनियरों और तकनीकी एप्रेंटिसों के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी में 57 विशिष्ट क्षेत्रों को अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। ऐसे प्रशिक्षार्थियों की संख्या अप्रैल, 1976 तक 11207 थी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 1,32,558 एप्रेंटिसों में से 29,223 कमजोर और पिछड़े वर्ग से हैं, यानी शैड्यूल्ड कास्ट वालों की संख्या 11,744 हैं, आदिम जातियों के 3,059 हैं, शारीरिक अपंग 195 हैं, अल्प वर्ग 12,597 हैं और स्त्रियां 1,628 हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 29,223 है।

इस साल का जो बजट पास किया गया है, उसको अगर आप देखें तो पता चलेगा कि वित्त मंत्री जी ने त्वरित वृद्धि

पर काफी जोर दिया है । 1976-77 में 7852 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जो सन् 1975-76 के मुकाबले में 31 प्रतिशत ज्यादा है । जब से हमारा प्लानिंग शुरू हुआ है तब से इतनी रकम किसी भी साल मुहिय्या नहीं की जा सकी थी । रोजगार के नये अवसरों से आशा का संचार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । विशेष ध्यान इस बात की तरफ दिया जा रहा है कि उत्पादक रोजगार श्रमिकों को मिलें और प्राकृतिक साधनों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग हो । ऐसी आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ 50 लाख बेरोजगार या अर्ध-बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा ।

उप सभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : कृपया आप जल्दी समाप्त कीजिये जिससे दूसरा रिजोल्यूशन भी बहस के लिए सदन में आ सके ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : श्रीमन्, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं । पांचवीं योजना के अन्तर्गत साधनों की उपलब्धि और अन्तर-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर प्रयत्न इस बात का किया जा रहा है कि दीर्घकालीन प्रगति होती रहे । योजनाओं को कुशलता-पूर्वक और कारगर ढंग से अमल में लाकर बेरोजगारी को समुचित ढंग से समाप्त किया जाएगा । साधनों की उपलब्धि और उन्हें कारगर ढंग से उपयोग में लाने का प्रबंध बराबर किया जा रहा है ।

श्रीमन्, रोजगार के साधनों को जुटाना और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के ध्येय को दीर्घकालीन उद्देश्य बनाकर देश की अर्थ-व्यवस्था को सुनियोजित किया जाएगा । ये काम हम एक फोर्टनाइट में कर लेंगे ऐसी तो कल्पना नहीं की जा सकती । रोजगार के अधिकार को संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों में शामिल करना इस समय संभव नहीं होगा परन्तु सीमित क्षेत्रों में सभी लोगों को रोजगार दिलाने की चेष्टा बराबर की जा रही है जैसे कि त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम (क्रैश रूरल इम्प्लायमेंट प्रोग्राम), रोजगार गारंटी योजना जो कि महाराष्ट्र में चल रही है, गुजरात की कार्य अधिकार योजना (राइट टु वर्क स्कीम); भूमि विकास फौज कर्णाटक में बनाई है । इन सब योजनाओं को लेकर बराबर यह प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाएं जिससे कि देश में समान प्रगति हो सके ।

सरकार द्वारा 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार किस प्रकार दिया जाए इसके लिए एक अध्ययन समिति बनाई गई थी और उसमें यह था कि घर के एक बालिग को कम से कम 250 दिन काम जरूर दिया जाये और यह काम घर से उचित दूरी पर और उचित मजदूरी पर दिया जाए । यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है आशा है जैसे ही इस पर विचार समाप्त होगा, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे ।

मैंने पहले भी कहा कि साधनों का हमारे पास अभाव है इसीलिए मूल अधिकारों को बढ़ाया जाए और उसके अन्दर रोजगार के अधिकार को लाया जाना एक स्वप्न मात्र होगा क्योंकि बिना उपचार के कोई अधिकार संभव नहीं होता है । धनी देशों में बेरोजगारी नहीं है; या है भी तो बहुत मामूली है और इसीलिए उन्होंने आशातीत सफलताएं प्राप्त की है ; वहां पर उन्होंने बेरोजगारी का बीमा भी किया

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

है, बेरोजगारी सहायता भी देते हैं, वृद्धावस्था पेन्शन भी देते हैं। हमने भी वृद्धावस्था पेन्शन देना शुरू किया है लेकिन वह समुचित नहीं है, वह इस हद तक नहीं है कि जिस पर हम गर्व कर सकें। लेकिन हम आशा करते हैं, जैसे ही हमारी अर्थ-व्यवस्था संभलगी और हमारे यहां जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको शायद हम पेन्शन की व्यवस्था कर सकें।

हम अभी तक उस व्यवस्था पर पहुंच नहीं पाए हैं कि हम रोजगार का अधिकार संविधान में ला सकें; यह नागरिकों को झूठी आशा बांधना है। यह देश-हित में अभी संभव नहीं होगा। इन सब बातों को कहने के बाद आशा करता हूं, श्री नत्थी सिंह हमारी भावनाओं को भी समझ गए होंगे और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री नत्थी सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव पर बहस में 20 सदस्यों ने भाग लिया और एक को छोड़ कर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से सब लोगों ने समर्थन किया। एक ही सदस्य थे जनसंघ के, त्यागी जी, जिनको यह दिक्कत आ रही थी कि प्रजातंत्र का मतलब पूंजीवाद से होता है इसलिए फ्री इन्टरप्राइज रहना चाहिए, किसी तरह से कंपीटीटिव मार्कीट में कमी न आ जाए और कहीं इनका पूंजीवादी समाज का जो ख्याल उनके दिमाग में है उस पर कुठाराघात नहीं लग जाए। वे इस सदन में हैं नहीं और मैं समझता हूं सारा सदन जानता है उनका सोच क्या है?

उपसभाध्यक्ष जी, बड़ी गरमजोशी से सदस्यों ने इसका स्वागत किया, इसका मैं आभारी हूं। लेकिन मंत्री जी ने जिस ठंडे-पन से जवाब दिया उससे लगता है जिस गरमजोशी से बातें कही गई उतने ही ठंडेपन से टाला गया है। इसका मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। दरअसल प्रस्ताव की भावना को सरकार ने नहीं देखा है कि प्रस्ताव में क्या है और क्या हमारा सोच होना चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, जब आप बोल रहे थे, मैं समझ रहा था उस मूल मुद्दे पर जब आपने कहा कि हमारा सोच बदलना चाहिए--जो पूंजीवादी सोच हमारा है--मैं समझता था कि योजना मंत्री भी इस प्रस्ताव पर जरूर कुछ विचार रखेंगे क्योंकि यह सारा मामला ही योजना से संबंधित है। रोजगार तो इस योजना का एक मूलभूत आधार है। मैंने पहले जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो उस समय कहा था कि हमारे देश में जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब योजनाओं के द्वारा हमारे देश का विकास हो, इस बात का एहसास हो गया था। इस चीज के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने देश के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की। इस बात के लिए पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपने कार्यालय में ही पंच-वर्षीय योजना तैयार की थी और उसे सह-कार रूप दिया। इस बीच हमारे देश के सामने पाकिस्तान की लड़ाई आई, बंगला देश की समस्या सामने आई और इन सबने हमारे साधनों के ऊपर प्रहार किया। इसके साथ ही साथ हमारे देश में सूखा आया, बाढ़ आई और लोगों को तरह-तरह के कष्ट उठाने पड़े फिर भी हमारा देश इन सब कठिनाइयों का मुका-बला करते हुए आगे बढ़ा।

अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे और उसके पहले कुछ और माननीय

सदस्य बोले। श्री श्रीकान्त वर्मा ने कहा और उन्होंने धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया। दुर्योधन ने कहा था कि मैं सूई की नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि तुम लोगों की आखें थी, तुम देख सकते थे, तुमने क्या किया। हमारे सदन की दो आखें हैं और हमें इस चीज पर आंख खोलकर देख देखना चाहिए था। इस समय हमारे देश के सामने योजना है और उसके आधार पर हमें यह योजना बनानी चाहिए।

अभी हमारे मित्र श्री कमल नाथ जी ने कहा कि पूंजीवाद के दो ही कार्य होते हैं। एक तो युद्ध करवाना और दूसरा बेकारी पैदा करवाना। आज हमें इस युद्ध और बेकारी की समस्या से अपने को बचाना है और यह पूंजीवादी जो व्यवस्था है, वह कैसे खत्म हो, यह बात भी हमने सोचनी है और यह सवाल हमारे सामने है। इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और न ही इसका कोई जवाब ही दिया गया है। यह बात ठीक है कि हमारे साधन सीमित हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने देश के सामने बीस-सूत्री कार्यक्रम रखा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना है और वह भावना यह है कि हमने आजादी के समय देश की जनता के सामने जो वायदे किए थे कि उनका जीवन बेहतरीन बनाने के लिए हम सब कुछ करेंगे वह हमको आज पूरा करना है। आज हमें उस वचन को निभाना है और योजनाबद्ध तरीके से उसको कार्यान्वित करना है। इसलिए हमारे देश के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना अनिवार्य है। इसका मूलभूत आधार श्रम होता है और इस योजना को हमें इस आधार पर परिवर्तन करना होगा। हमारी मान्यता भी श्रम पर ही है।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव के बारे में कहा कि राइट टू वर्क की जो बात कही गई है, उसके संबंध में मेरा यह निवेदन है कि मैं कभी भी अपने प्रस्ताव अंग्रेजी में नहीं देता हूं। मैंने हिन्दी में प्रस्ताव दिया था और उसमें रोजगार शब्द लिखा था। रोजगार का तर्जुमा इम्प्लायमेंट होता है, रोजगार का तर्जुमा काम करना होता है, तो यह समझ लीजिये मैं समझता हूं हिन्दी में पर्यायवाची शब्द जो है वह उद्यम है और उद्यम का मतलब काम करना होता है और उसकी जगह राइट टू वर्क शब्द लिख दिया है। इस तरह से अंग्रेजी का जो शब्द लिख दिया गया है वह गलत हो सकता है। मेरा प्रस्ताव तो साफ और सुन्दर था कि लोगों को रोजगार मिले मैंने अपना प्रस्ताव पेश करते समय कहा था कि सब से बड़ा रोजगार खेती का है। खेती नौकरी नहीं है बल्कि धन्धा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी जो कह रहे हैं उसमें हमें बल मिलता है। हमारी सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक हमारे देश में करीब एक करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यह संख्या बेकारी के दफ्तर में लिखी हुई है। सरकार ने पब्लिक सैक्टर में करीब 2 लाख 35 हजार रोजगार दिए हैं, लेकिन प्राइवेट सैक्टर में सन् 1973 से लेकर सन् 1976 तक, यानी आज तक केवल एक प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है और उसमें वृद्धि हुई है। इन सब चीजों के बावजूद भी हम यह कहना चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर बहुत पवित्र है। प्राइवेट सैक्टर का अर्थ है कि हर हालत में रोजगार की व्यवस्था करे।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : समाप्त करिए 5 बजने वाले हैं।

श्री नत्थी सिंह : 20 आदमी बोले, इस प्रस्ताव पर। सब ओर से इसका स्वागत हुआ। मैं सोचता था कि मंत्री महोदय इसका संतोषजनक रूप से जवाब देंगे लेकिन उन्होंने बहुत ठंडा सा उत्तर दिया है। इसलिए मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा। यह कहना कि काम करने के अधिकार को फन्डामेंटल राइट्स में शामिल करना व्यावहारिक नहीं है यह सबसे अव्यावहारिक दृष्टि है हमारी।

(Time bell rings.)

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : सदन 5 बजे के बाद नहीं बैठता।

श्री नत्थी सिंह : तो मैं अगले सत्र में जारी रखूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SINGH): The House stands adjourned till 11 00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th May, 1976.